श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन साहब की अनुमति से हुआ है, लेकिन मैं आपकी बात माननीय चेयरमैन तक पहुंचा दूंगा।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति जी, जब माननीय सदस्य ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, तो उन्हें उस नियम को पूरी तरह पढ़ना भी चाहिए। उसमें बीच में लिखा है कि 'unless the Chairman otherwise directs' ... (व्यवधान)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am not saying, 'No'; उपसभापति जी, मैं discussion करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि मिनिस्टर्स की जो आदत बनी हुई है कि उसी दिन वहां से बिल को पास करा कर, इस सदन में प्रस्तुत करना और दूसरे दिन उसे पास कराना, इस पर अंकुश लगना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री मधुसूदन मिस्त्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय सभापति जी ने already rule 123 के तहत waiver दिया है। मैंने आपको इस बारे में पहले ही बता दिया था।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य, हाउस को mislead न करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठकर न बोला करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minster, please move the Bill.

GOVERNMENT BILL

The Arms (Amendment) Bill, 2019.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।

श्री उपसभापति: आप अभी ब्रीफली बोल लीजिए, रिप्लाई बाद में दीजिएगा। आप पाँच मिनट के लगभग बोल लीजिए।

श्री जी. किशन रेड्डी: आदरणीय उपसभापति जी, यह छोटा बिल है, मगर बहुत महत्वपूर्ण बिल है। सर, arms and ammunition का effective control करना किसी भी देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो कि किसी देश के सुरक्षित

[श्री जी. किशन रेड्डी]

वातावरण में प्रभावित करता है। इसका प्रभावी नियंत्रण internal security, कानून व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत में आर्म्स संबंधित एक्ट पहली बार 1878 में "आर्म्स एक्ट 1878" के नाम पर लागू किया गया था। इस एक्ट को ब्रिटिशर्स ने खुद के लिए, उनके समर्थकों के लिए, राज करने वाले व्यक्तियों की सिक्युरिटी के लिए बनाया था, जिसमें लाइसेंस देना था। हमारे देश के आजाद होने के बाद भारत सरकार और इंडियन कांस्टीट्यूशन में इस कानून को रिव्यू करके लोगों की सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर नया कानून "आर्म्स एक्ट, 1959" के नाम पर लागू किया गया है। इस एक्ट में arms manufacturing, sale, import, export, etc. के प्रोविजन के साथ-साथ सिटिजन्स को आर्म्स लाइसेंस देने का भी प्रोविजन था। इस एक्ट को फर्स्ट टाइम, लगभग 31 ईयर्स के बाद उस समय की कानून व्यवस्था की दृष्टि से, 1959 का कानून आने के बाद 1988 में रिव्यू किया गया। प्रेजेंट कंडीशन में इसकी आवश्यकता है और वर्तमान स्थिति के अनुरूप ही यहाँ नया अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया है। Firearms ammunition and explosives Constitution के Seventh Schedule में Union List पाँच पर आते हैं। Arms Act, 1959 एक Cetral law है, जो देश में वैपन्स और फायरआर्म्स की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को रेग्युलेट और कंट्रोल करता है। मैंने बताया है कि एक्ट को 31 ईयर्स के बाद 1988 में अमेंडमेंट किया गया था। Amendment Law Enforcement Agencies से प्राप्त जानकारी के मुताबिक illegal arms holders and their punishable offences की तरफ से पिछले सालों में आर्म्स मैन्युफेक्चरिंग में और उनकी ईजी अवेलेबिलिटी में लाइसेंस मिलना था। इसके साथ-साथ ही illegal arms and smuggling में increase होना भी गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए वर्तमान कानून को और कठिन एवं effective बनाना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही अच्छे लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए arms licensing प्रणाली को और आसान बनाने की आवश्यकता है, जिसके कारण citizens, individuals and sports players की कोई भी disturbance नहीं होनी चाहिए। जो भी Illegal arms ammunitions मिलता है, सरकार कभी-कभी उसको seize करती रहती है। 2014-2017 के दौरान हर साल 35,218 arms and 1,62,648 ammunitions और इल्लिगल आर्म्स को सीज किया गया है। बॉर्डर पर paramilitary forces के द्वारा भी every year भारी मात्रा में arms ammunitions seize किया जाता है। इसलिए मैं माननीय सांसदों को बताना चाहता हूं कि इसमें जो इनडिविजुअल लाइसेंस है हम उसमें और सुधार ला रहे हैं। अभी जो एक बुक के नाते लाइसेंस देते हैं, उसको एक e-card जैसा देना चाहते हैं। जैसा लाइसेंस है, उस लाइसेंस की तरह ही अभी हम gun license का और आर्म लाइसेंस का कार्ड देना चाहते हैं। पहले इसका 3 साल में एक बार renewal होता था। चूंकि इसके लिए हर 3 साल में जाने से उनका समय भी बर्बाद होता है और ऑफिसर्स का समय भी बर्बाद होता है, इस दृष्टि से हमने 5 साल के बाद इसके renewal की व्यवस्था की है।

इसके साथ-साथ, व्यक्ति के पास पहले तीन guns रहते थे। सरकार पहले यह चाहती थी कि एक ही gun रखना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति तीन guns एक ही बार नहीं चला सकता है। लेकिन कुछ सांसदों ने और कुछ civil societies ने सरकार से निवेदन किया कि उनको एक बड़ा gun और एक छोटा gun चाहिए, इसलिए वह दो guns रखने की व्यवस्था करे। सरकार ने इसको मान लिया है और इस बिल में तीन guns की जगह हर व्यक्ति, जिनको छुपा चाहिए, उनके लिए दो guns का लाइसेंस रखने की व्यवस्था की गई है।

दूसरा, जो लोग sports की practice करते हैं और देश के लिए medals लाते हैं, उनके लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में sports के लिए जो स्थिति है, उनके लिए जो व्यवस्था है, वही रहेगी। वे training के लिए जितने भी guns use करते हैं, use कर सकते हैं। Rifle Associations के लिए वर्तमान स्थिति जारी रहेगी। इसके साथ-साथ, जो ex-Army personnel हैं, उनके लिए भी इसमें कोई change नहीं किया गया है। वे अपने पास दो guns रख सकते हैं।

सर, इसमें हम कुछ नई punishments लाए हैं। पहले इस तरह की punishments नहीं थीं। फिर इसमें कुछ punishments को बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश भी थे। पहले के एक्ट में सेक्शन 27(3) में death penalty की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर उस death penalty की जगह 'life imprisonment or death penalty', इसमें इस तरह का change किया गया है।

सर, मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करने के बाद आपके आदेश से बाद में इसके बारे में detail में बताऊँगा। इसमें किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है। देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हमने इसमें कुछ कदम उठाए हैं। हमने international level पर भी United Nations के साथ agreement sign किया है कि illegal arms trafficking को रोकना चाहिए। हमारे देश में भी illegal trafficking हो रही है। कुछ जगह तो small scale industry की तरह, cottage industry की तरह arms बनाए जाते हैं। इसको पूरी तरह से रोकना चाहिए और इसकी punishment बढ़ानी चाहिए। अगर अभी किसी के पास illegal gun मिलता है, तो उसको punishment मिलती है, मगर जो gun बनाता है, उसको कम punishment मिलती है। इसलिए हमने इसको बनाने वाले के लिए punishment को ज्यादा किया है। हमने इसमें इसका transport करने वाले के लिए punishment की व्यवस्था की है। जो व्यक्ति इसको रखता है, उसके लिए punishment की व्यवस्था की है। हम देखते हैं कि लोग पुलिस वालों से gun छीन लेते हैं, कुछ LWE areas में पुलिस के ऊपर attack करके guns ले जाते हैं, कुछ जगह पत्थरबाजी करके पुलिस स्टेशन से guns ले जाते हैं। ऐसे संगठन, जो इसके लिए दोषी हैं, उनको ज्यादा punishment मिलनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम

[श्री जी. किशन रेड्डी]

यह Arms and Ammunitions का Amendment Bill आपके सामने लाए हैं। मैं आपके द्वारा सभी महानुभावों से इस Arms and Ammunitions (Amendment) Bill को पूरा समर्थन देने के लिए request करता हूँ। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one Motion by Shri Digvijaya Singh to refer the Arms (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, to the Select Committee of the Rajya Sabha. Are you moving the Motion?

MOTION FOR REFERENCE OF BILL TO SELECT COMMITTEE

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Yes, Sir. I move:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by Lok Sabha be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Ambika Soni
2. Kumari Selja
3. Shri B.K. Hariprasad
4. Shri Jairam Ramesh
5. Dr. K.V.P. Ramachandra Rao
6. Shri Tiruchi Siva
7. Shri Vaiko
8. Shri Sanjay Singh
9. Prof. Manoj Kumar Jha
10. Shri Digvijaya Singh

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha."

The questions were proposed.

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, यह जो बिल आया है, इसका focus illegal arms के ऊपर है। मंत्री महोदय के भाषण से यह मालूम पड़ा कि जो लोग illegal arms रखते हैं, वह बंद होना चाहिए, उसकी manufacturing बंद होनी चाहिए, उसकी sale बंद होनी

चाहिए। ये सारी बातें आपने कहीं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। यूपी और बिहार में जिस तरह सब्जी बेची जाती है, वैसे ही कट्टे भी बेचे जाते हैं। ये बिकने बंद होंगे, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यही कट्टे हमारे महाराष्ट्र में, मुम्बई में जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: पहले तो यह समझाइए कि कट्टा क्या है?

श्री हुसैन दलवई: हालांकि मैंने कट्टा कभी देखा नहीं है, लेकिन हम सुनते रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि फलां-फलां के पास कट्टा है। कट्टा भी पिस्तौल की तरह होता है। ...**(व्यवधान)**... जैसा आपने बताया कि पुलिस या Armed Forces से गन छीन ली जाती है, उनके लिए आपने जो सजा बढ़ाई है, इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। यह काम बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस कानून के आने के बाद, illegal arms की जो manufacturing रही है, वह बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कई जगह जब शादी-विवाह या कोई celebration होता है, तो गोलियां चलाई जाती हैं, यह भी इल्लीगल है। इन सब चीज़ों को बंद करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं।

मंत्री महोदय, अब सवाल यह पैदा होता है कि जिनके पास लाइसेंस पहले से ही है, चाहे तीन पिस्तौल का हो या चार का हो, आप इसको कम कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? आज जो क्राइम हो रहा है, गुनाह बढ़ रहे हैं, उनमें illegal arms का इस्तेमाल होता है, licensed arms का नहीं होता है । अगर किसी ने licensed arm से किसी का खून कर दिया, तो जल्दी ही वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट होता है। जो unlicensed arms या illegal arms होते हैं, उनकी जांच करना कठिन होता है, इसलिए उनके बारे में आपका जो फोकस है, वह बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि जिनके पास दो या तीन आर्म्स हैं, उनके बारे में भी आपने इस बिल में प्रावधान रखा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप हमारे यहां कोल्हापुर में जाएंगे, तो वहां जो राजे-रजवाड़े हुआ करते थे, उनके घरों की दीवारों के ऊपर आज भी आर्म्स टंगे रहते हैं, लेकिन वे उनका इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं। ये आर्म्स उन्हें अपने पूर्वजों से मिले हैं, इसीलिए वे अपने घर में सिर्फ एक आर्टिकल की तरह उन्हें दीवार पर सजा कर रखते हैं, छुपा कर नहीं रखते। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिनके पास unlicensed arms होंगे, उनको हमेशा वे छुपा कर रखेंगे। इस बिल में मेरा खाली इतना ही विरोध है, आप licensed arms को तीन के बजाय, दो या एक करने की जो बात सोच रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। आपने अपने बिल में यह प्रावधान भी किया है कि इनका लाइसेंस तीन साल में रिन्यू होने के बजाय, अब पांच साल में रिन्यू होगा, यह अच्छी बात है। इनकी संख्या को तीन से एक करना या जिनके पास एक तरह से सज्जा की वस्तु के रूप में ये रखे हैं, उनको परमिशन न देना, यह सही नहीं है, क्योंकि यह उनके इमोशंस से जुड़ी हुई

[श्री हुसैन दलवई]

बात है। अगर मेरे घर में बाप-दादा के जमाने से कोई आर्म रखा है, तो आप उसको निकालने की बात मत कीजिए। लोग इस बात का विरोध करेंगे। आपका जो फोकस illegal arms के बारे में है, वह आप कायम रखिए, इतनी ही विनती करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.) (Haryana): Sir, I rise to support this Bill. This is a well intended Bill to curb the manufacture, sale, smuggling and use of illegal arms because more arms means more crime. At the same time, it makes the licensing easy in the sense that validity period been increased from three to five years. I welcome it. Also, the issue of license has been made electronic. As far as licences are concerned, holding arms is very big responsibility. I belong to an organization or, say, the profession of arms but for holding arms, an individual has to be trained. In Armed Forces, we say that your arms are rather more dearer than your life and soldiers hold the arms with utmost safety. Still, there may be incidents of fragging or fratricide.

Therefore, just like you do the medical check-up, eye check-up or orthopedics check-up of the individual for issuing a driving licence, in the same manner, before issuing licence for arms, to prevent the misuse of licensed arms, at least, psychological bent of the person should be known especially if there are criminal tendencies or not, if there are suicidal tendencies or not. This should be of prime importance.

Secondly, in licensed arms, show of strength or show of arms prevents the use of arms. Therefore, there are flag marches, there are shows of strength. As far as holding of arms by individuals is concerned, I welcome the Government's move to reduce the number of arms on one licence from three to two. Though Husain Dalwai ji said that we should have been more considerate towards royal vintage armouries but as I mentioned, show of strength prevents the use of arms.

Scientifically, one is for distance and one is for near. As far as small arms, especially, pistols and revolvers, are concerned, they are more of show now because with the automatic weapons and attacking weapons, to defend yourself with pistol is only possible in close quarter battle, which I say is, दस्ती लड़ाई टाइप।

It was mentioned by the Minister that it has become a cottage industry. I

belong to an area where gang wars are rampant and weapons are sold like daily use articles. In Western U.P., a good quality *gur* will be sent to Haryana across Yamuna and in those *gur* tractors and *gur* carts, arms are smuggled. Though there are 36 lakh licences all over India but as far as illegal arms are concerned, there is no count and most of the crimes are because of illegal arms. Therefore, with this cottage industry, we have to be more stringent because deterrent punishment and exemplary punishment is a must. Deterrent punishment is कि क्राइम करने वाले की अक्ल जगे कि अगर उसने दोबारा किया तो ऐसा ही सुलूक दोबारा किया जाएगा और as far as exemplary punishment is concerned, especially, in Armed Forces, when somebody commits a crime, in a short time, in a very requisite time, within two years, we punish him, and, at the same time, we punish him publicly so that others को भी यह example मिले, यह मिसाल मिले कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा ही सुलूक होगा। इसलिए यह जो exeplary and deterrent punishment है, इसको execute करने के लिए हमें judicial system की भी overhauling करनी पड़ेगी। Otherwise, with jail reforms and judicial reforms, if we do not combine the punishment, हमारी जेलें भर जायेंगी।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY) *in the Chair*]

इसलिए, deterrent punishment के लिए मैं कहूंगा कि सिर्फ जेल में उनको guests की तरह रखा नहीं जाए, अगर rigorous imprisonment है, तो उनसे rigorous काम लिया जाए। पुराने जमाने में, अंग्रेज़ों के जमाने में तो उनसे नहर खुदवायी जाती थी, क़ैद-ए-बामशक्कत होती थी, मगर अब वह प्रावधान पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता। I welcome कि सज़ा बढ़ा कर एक साल से तीन साल कर दी, तीन साल से पाँच साल कर दी, पाँच साल से सात साल कर दी, सात साल से 14 साल कर दी और 14 साल से life imprisonment or even death. खासकर ऐसे हालात में जब फौज और पुलिस पर हमला किया गया हो, snatching of arms हो, planned gangs हों, एक syndicate हो, इस tendency को curb करने के लिए सरकार ने जो इक़दामात किए हैं, उनका मैं इस्तक़बाल करता हूँ, समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही मैं सरकार का, माननीय गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने sportsman, armed forces और security forces को पूरी तरह से spare किया है, क्योंकि those are responsible license holder end-users and even ex-servicemen को भी spare किया है।

सर, मैं आपके नोटिस में एक और बात लाना चाहूँगा और वह यह है, I retired from quite a senior rank but there was much a dearth of non-service pattern weapons कि मुझे एक .30 gun से ही satisfied होना पड़ा। Now once people will be surrendering

[Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats (Retd.)]

their arms, more non-service pattern weapons will be available to other responsible people. इसके साथ ही मैं यह कहूँगा कि Deputy Commissioners को, licensing authorities को....., ऐसा न हो कि एक तरह से दोबारा इंस्पेक्टर राज हो, इसलिए जो online licensing के इक़दामात किए गए हैं, वह भी काबिलेतारीफ है। इसके साथ ही मैं यह जरूर कहूँगा कि न्यायिक सुधार, police reforms सुधार जरूरी हैं। खासकर पुलिस रिफॉर्म के संबंध में मैं कहूँगा कि bureaucratic, police and politician का एक racket न बन जाए और उसमें सारे illegal काम होते रहें। ऐसे अनासिर पर हमें सख्ती से पेश आने की जरूरत है।

In the end, I will say that it is a well-intentioned Bill. It is well comprehended and I support it. Thank you very much.

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (West Bengal): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Arms (Amendment) Bill, 2019. I have a few points to make which the Government should consider.

On the usage of un-licensed weapons, according to the Government data, nearly 58,000 offences were recorded in 2017. Only 419 involved had licensed arms. A total of 63,000 firearms were seized. Only 3,500 were licensed. Seven people were arrested every hour with illegal weapons. The Government should take strong action for the recovery of illegal arms and ammunition throughout the country, especially in the borderland of the country. We, the peaceful citizens, are very much afraid as arms are being used in any incident. What is the Government doing to curb smuggling of firearms into the country?

On criteria for licence, because the number of crimes being committed is increasing gradually, the Government has to revisit it and strengthen the criteria for issuing licence so that the arms are not used badly.

On arms manufacturing, the Government has liberalised manufacturing of small arms and allowed Foreign Direct Investment of 49% in its manufacture. But now there is a limit to hold licensed firearms. What will be its impact on arms manufacturing companies? Then comes Armed Forces. What about the Armed Forces misusing weapons? What are the provisions and punishments? How many cases have been recorded? Vintage firearms are family heirlooms which have been passed over generations. Giving them up can lead to heritage erosion. When vintage firearms

will be deposited at the police station who will look after them? What about their maintenance and upkeep? Then comes the point of trafficking of firearms. The Bill proposes trafficking of firearms and ammunition. But the Government has to ensure that the privacy of people holding licensed firearms will be protected. There has to be a holistic mechanism for collection and protection of data, especially when the Government has still not tabled the Data Protection Bill in Parliament. Then comes the point of new offences. The Bill prohibits using firearms in celebratory gunfire. There should be overarching prohibitions, like say, a farmer using a licensed gun to ward off animals from his crops. Sir, the Government had claimed that demonetisation would kill terrorism but it was not done. To counter such things, it requires holistic policies and strong action. What has the Government done to curb terror? Has the access to arms by terrorists been curbed? How were unlicensed firearms funded? The Government should take cognizance of these points. I thank you for giving me the chance to speak on the Bill.

SHRI N. CHANDRASEGHARAN (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman and the august Members of the illustrious Rajya Sabha, I consider myself as privileged to be part of this wise body of learned experts and statesmen from different parts of our glorious nation. I fondly recall the history of this Sabha which came into existence in April, 1952, chaired by one of the best teachers of the country, the then Vice-President, Dr. S. Radhakrishnan. I also recall with pride that the only female Member of the first Rajya Sabha, Shrimati Rukmini Devi Arundale, came from Chennai. It is also a great source of pride for me that I carry the lineage of Perarignar Anna, Puratchi Thalaivar Makkal Thilagam MGR, Puratchi Thalaivi Amma, the Iron Lady of India, and now the ever-smiling, our Thalaivar Ayya Makkal Thondar, our hon. Chief Minister Edappadi K. Palaniswami. It is my vision and endeavour to carry the legacy and serve for the welfare of our people with the same dedication, kindness and broadmindedness.

Though as a country we are facing several challenges, I would like to stress five major areas for a concerted, collective and focussed action. First, inclusiveness and bridging the inequality between rich and poor; second, health, sanitation and cleanliness at every level; third, sustainable development with a major stress on conserving natural resources and controlling the damage to the environment; fourth, quality and free education to every child on universal basis; fifth, providing efficient

[Shri N. Chandrasegharan]

governance and services to people at all levels, without their having to struggle to get what they are rightfully entitled for.

I thank our Chief Minister hon. Dr. Edappadi K. Palaniswami, our Deputy Chief Minister, O. Panneerselvam, for giving me an opportunity to be an instrument in carrying their vision to the people. I understand the roles and responsibilities of Rajya Sabha which is primarily to spend time examining various legislations, programmes and Ordinances as forwarded to us and offering our considered and learned views on those proposals.

I assure this august and learned body and the people of our nation that I will do the best in my capability to fulfil my responsibilities without any bias and partiality, and in alignment with the broad vision of the learned statesmen and the welfare of the people. With the support of our hon. Chief Minister, Dr. Edappadi K. Palaniswami, I take this opportunity to dedicate myself for the service of our people in particular and the citizens of our country in general.

While thinking about him, I recollect a couple of phrases in Tirukkural: *"kaatchik keliyan kadunjollan allanael, meekkoolum mannan nilam."* It means that where the king is easy of access, where no harsh words repels, that land's high praises every subject swells.

Regarding Kudimaramathu work in Tamil Nadu, I would like to mention that our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has allocated a fund of ₹499 crores for desilting 1,829 lakes in the State under "Kudimaramathu" Scheme this year. This scheme has been successfully implemented in most of the lakes. I would like to present the recent official database regarding the water table in Tamil Nadu, which states that water table has gone up by three metres on an average across the State.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Sorry, one second. We are discussing the Arms (Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*... Please help him. ...*(Interruptions)*... It is his maiden speech but it should also be on the Bill because that is the Rule. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. CHANDRASEGHARAN: The average water level was at 14.5 metres below ground level now, compared to a depth of 17.5 metres in May. Groundwater level has improved in several districts, and the southwest monsoon has also contributed to the increase in water levels.

With the satisfying monsoons for the year, almost all the lakes and dams are now at brim level. At this juncture, I am humbled to place the requisition to allocate more funds during the forthcoming financial year for the betterment of water resources. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has earmarked ₹1,000 crores to construct the check dams to improve the water resources.

Now, coming to the point, I support The Arms (Amendment) Bill, 2019, which seeks to decrease the number of licensed firearms allowed per person. It also introduces new categories of offences. According to an estimate, India has around 35 lakh gun licenses. Under this Act, a license must be obtained to acquire, possess, or carry any firearm. The Bill reduces the number of permitted firearms from three to one. The Bill also increases the duration of the validity of a firearm license from three years to five years. The Bill bans manufacture, sale, use, transfer, conversion, testing or proofing of firearms without license. The Bill increases the punishment between seven years and life imprisonment along with a fine. A court may impose a punishment of less than seven years with recorded reasons. Celebratory gunfire refers to use of firearms in public gatherings, religious places, marriages or other functions, to fire ammunition. The Bill also defines offences committed by organized crime syndicates and illicit trafficking. My suggestion is that the Central Government may make rules to track firearms and ammunition from manufacturer to purchaser to detect, investigate, and analyse illicit manufacturing and trafficking.

Once again, as conclusion, I want to take this opportunity to thank the hon. Prime Minister of India Shri Narendra Modi for naming the Chennai Central Station after Dr. M.G. Ramachandran Central Railway Station, whose name now could be heard across all the railway stations in India. I also thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Edappadi K. Palaniswami who recommended Dr. M.G.R. name for Chennai Central Railway Station. Dr. M.G.R. is a well-known personality across the world, both as a great actor and as the beloved Chief Minister of Tamil Nadu. There is a saying: "Preaching is easier than practice" but Dr. M.G.R. did what he promised to the people of Tamil Nadu. Dr. MGR is well-known to everyone as a philanthropist as whatever he had earned was donated to differently-abled persons like blind, deaf and dump, besides women colleges. Dr. MGR was the first person in India, who entered first in Cine field, then he turned as Chief Minister. The way of his approach towards the people took him to the Chair of Chief Minister, is no wonder. Hon.

[Shri N. Chandrasegharan]

Prime Minister, knowing the credentials of Dr. MGR, decided to name Chennai Central Railway Station after Dr. MGR. Dr. MGR hailed from a very poor family and reached the pinnacle of glory in the life. Our Prime Minister Modi*ji* occupied this great office because of his dedication, devotion, commitment and sincerity and not by inheritance. I humbly thank the hon. Prime Minister at this juncture once again.

Then, regarding the Informal Summit at Mahabalipuram; it is indeed a great pride for the State of Tamil Nadu to host the meeting of our hon. Prime Minister Modi*ji* with the President of China on an informal summit. The historical city of Mahabalipuram, witnessed these proud moments for two consecutive days on 11th and 12th October 2019. Mahabalipuram is a very famous place in India, which is situated on a strip of land between the Bay of Bengal and the Great Salt Lake. ...*(Time-bell rings)*... It is known for its temples and monuments built by the Pallava dynasty in 7th and 8th Centuries.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, fifteen minutes; only one more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Look at the board. Please look at the board.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Look at the board.

SHRI N. CHANDRASEGHARAN: Thousands of tourists visit all the days to this historical place. In this place, two great and powerful leaders in the World held discussions on various subjects.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): How many pages are left?

SHRI N. CHANDRASEGHARAN: Only one. The uniqueness of this place started to spread now not only in Tamil Nadu and India; but also across the world after the informal summit was over, focusing attention of more number of tourists. I would like to place on record my appreciations and sincere thanks to whole team of officials and Ministers who made elaborate security arrangements, smooth logistics

and mind blowing entertainment and other activities through forming expert committees, which made the summit a grand success.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): All right. ...*(Time-bell rings)*... Please conclude.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, one more minute.

SHRI N. CHANDRASEGHARAN: It is pertinent to point out here that the President of China thanked everybody and expressed his full satisfaction.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Sorry; one second. Please stop for a second. ...*(Interruptions)*... Please stop for a second. ...*(Interruptions)*... One second, please stop. Time allotted for discussion on the Bill is only two hours, so fifteen minutes cannot be given to him. Already he has exceeded five minutes.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, it is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No; I request you to conclude, please. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, it is his maiden speech. Give him one more minute.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: It is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): I know it is his maiden speech. ...*(Interruptions)*... I know that.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, it is because he wants to express everything.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Try to understand; try to appreciate that only two hours have been allotted for discussion on this Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: For the whole Session; he has not got any chance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Fifteen minutes is the maximum time. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Give him one minute more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. CHANDRASEGHARAN: It is pertinent to point out here that the President of China thanked everybody and expressed his full satisfaction and happiness of his visit to India, and Tamil Nadu. All these were possible under the able guidance of our hon. Prime Minister and right execution by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Ch. Sukhram Singh Yadav; you start. Nothing will go on record.

SHRI N. CHANDRASEGHARAN: *

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आयुध (संशोधन), विधेयक 2019 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बोलिए।

चौधरी सुखराम सिंह यादव: महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं, जहां असलहे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह माना जाता है कि अगर असलहा घर में नहीं है तो उस आदमी की कोई हैसियत नहीं है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि किस प्रकार से असलहे के लिए लड़ाइयां हुआ करती थीं और लोग कैसे चाहते थे कि किस तरह जुगाड़ से असलहा हमारे घर पर आ जाए। अभी हमारे दक्षिण भारत के लोग बोल रहे थे कि वहां पर तो लोग जानते ही नहीं हैं कि असलहा क्या होता है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं कि जब मेरी शादी हैदराबाद में हुई तो उत्तर प्रदेश से काफी लोग मेरी शादी में गए। हमारे पिताजी उस समय MLC थे और ताऊजी MP थे। महोदय, जब मेरी बारात हैदराबाद पहुंची, तो उसमें ज्यादातर लोग राइफल और बंदूक वाले थे। उन्हें देखकर वहां के लोग तमाशा देखने लगे और बोले कि ये डकैत कहां से आ गए। मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में तो लोग मानते हैं कि राइफल या बंदूक वाला आदमी डकैत होता है। जब हमारे दक्षिण भारत के माननीय सदस्य बोल रहे

*Not recorded

थे, तब भी वे कुछ इसी प्रकार की भाषा में बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि वे असलहों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

महोदय, मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि लाइसेंसी हथियार का पांच साल renewal का समय करने जा रहे हैं, यह तो स्वागतयोग्य कदम है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि यदि संभव हो, तो पांच साल से ज्यादा का समय भी कर दिया जाए, तो बेहतर रहेगा। जब तक किसी की तरफ से कोई शिकायत न हो अथवा कोई उसकी complaint न करे अथवा उसके ऊपर कोई मुकदमा न चले, तब तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं पहले देखता था कि हर तीन साल के बाद लाइसेंस का renewal होता था। कहा जाता था कि लाइसेंस दिखाइए, रिन्यूअल कराइए, पैसा जमा कराइए और पुलिस की रिपोर्ट में बहुत दिक्कतें होती थीं। पुलिस रिपोर्ट लगाने में बहुत परेशान करती थी। ये सारी बातें मैंने देखी हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस अवधि को यदि और बढ़ा देंगे, तो अच्छा होगा।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें जो प्रावधान किया है कि दो असलहों से ज्यादा लाइसेंस कोई नहीं ले सकेगा, यह ठीक नहीं है। पहले नियम था कि तीन असलहे रख सकते थे और इसमें भी ऐसा था कि तीन असलल्हे वही रख पाते थे, जो सम्पन्न होते थे। आम आदमी के बस की बात तो थी नहीं कि वह तीन-तीन असलहे रखे। मैं अब भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात मैं कर रहा हूं और प्रदेशों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वहां अभी भी ऐसे-ऐसे गांव हैं कि जहां आप मीलों चले जाइए, आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। वहां डकैती पड़ जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम होगा, वहां पीड़ित को बचाने के लिए असलहे ही काम आएंगे। आप वहां सुरक्षा की व्यवस्था कराइए, यदि आप यह नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह आपके वश की बात नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि असलहों के लाइसेंस में आप जो कटौती कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। अत: मैं चाहता हूं कि यदि एक परिवार में किसी के पांच बच्चे हैं और उन्होंने अपने पिता के नाम से तीन लाइसेंस ले रखे हैं, तो उन्हें तीन ही रहने दीजिए। पिता के बाद वे automatically लड़कों के पास चले जाएंगे। जब पिता नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक ही है कि उनके लड़कों के नाम पर ही वे लाइसेंस जाएंगे। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपने दो लाइसेंस वाली बात रखी है, कहीं इसका दुरुपयोग न हो और इस की ठीक व्यवस्था हो। जहां इसका उपयोग हो रहा है, बड़े-बड़े गांव हैं और कई क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं जहां पहले भीषण डकैतियां होती थीं, वैसी जगहों पर लाइसेंसों को दिए जाने में छूट होनी चाहिए।

[चौधरी सुखराम सिंह यादव]

महोदय, मैं अगली बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शादी-विवाह में इसका दुरुपयोग होता है, उसके लिए इसमें कानून और सख्त होना चाहिए। जो लोग शादी-विवाह में फायर करें, उनके लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाने चाहिए। सबसे ज्यादा मौतें, शादी-विवाह में फायरिंग के कारण ही हो रही हैं। जब दूल्हे और दुल्हन की विदाई होती है, तो अधिकतर लोग फायर करते हैं और इसके कारण बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरन्त लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो ऐसा करता पाएगा, उसका लाइसेंस तुरन्त जब्त कर लिया जाएगा और इस पर कहीं कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

महोदय, जब मैं छोटा था, उस वक?त की बात बता रहा हूं। हमारे ताऊ जी के पास एक stick gun थी। वह ऐसी थी कि एक तरह से बेंत जैसी होती है। उसे लेकर आप कहीं भी चले जाइए। उसे कहीं वे भूल जाया करते थे। कभी स्टिक गन कहीं रखी रह जाती थी। ऐसे जो असलहे होते थे, वे समाज के लिए तो अच्छे होते थे, लेकिन कहीं-कहीं उनका दुरुपयोग भी हो जाया करता था। इसलिए ऐसे जो असलहे बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबन्ध होना चाहिए। असलहे ज्यादातर ऐसे बनने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हों, लाभकारी हों और जिनसे समाज को सुरक्षा मिलती हो।

महोदय, मैं अगली बात यह कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, उसके अनुसार क्षेत्र में कहीं कोई चुनाव होता है, तो थाने में असलहे जमा हो जाते हैं। जब थाने में असलहे जमा होते हैं, तो कूड़े की तरह जमा होते हैं। आदमी आया, जमा कर गया। उसके लाइसेंसी असलहे का क्या हो रहा है, उसके बारे में उसे कोई पता नहीं लगता। इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि चुनाव के समय, यह जो प्रतिबन्ध होता है कि आप असलहा नहीं रख सकते हैं, उसमें छूट होनी चाहिए। यह तरीका अच्छा नहीं है कि आप लाइसेंस दे रहे हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन झगड़े ज्यादातर चुनाव के समय ही होते हैं। आप लाइसेंसी असलहा रखने वाले को यह कह सकते हैं कि चुनाव के समय आप असलहे को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, आप उसे घर के अंदर रखेंगे, घर के बाहर लेकर नहीं जाएंगे। यह प्रतिबन्ध तो हो सकता है, लेकिन अगर आप गांव के आदमी से कह दें कि वह असलहे को जमा कर दे, तो वह रात में खतरे की वजह से सो भी नहीं पाएगा। इस पर भी छूट होनी चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं पहली बार तो बोल रहा हूं। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राज्यों को लाइसेंस देने का अधिकार था, वह अधिकार राज्यों को ही होना चाहिए। वे चाहें, तो एक हथियार के लिए लाइसेंस दें और चाहें, तो दो हथियारों के लिए लाइसेंस दें अथवा तीन हथियारों के लिए लाइसेंस दें। यह अधिकार केन्द्र को क्यों दिया जा रहा है? यह तो राज्यों का विषय था,

इसमें केन्द्र कहां से आ गया? इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो नियम पहले था और यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में था, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहे और वे आवश्यकतानुसार जहां-जहां समझें, लाइसेंस बांटें। मेरी आपसे यह अपील है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आपने इस बिल में और भी जो बातें कही हैं, वे ठीक हैं, वे उचित बातें हैं, लेकिन आप बस दो ही बातों का ध्यान रखिएगा कि लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, इसके लिए हमारी जो रिन्युअल प्रक्रिया है उसमें और सरलीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही जो गाँव क्षेत्र का एरिया है, गरीब क्षेत्र हैं, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक लाइसेंस दिए जाएं, ताकि आम आदमी को सुरक्षा का अवसर प्रदान हो। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इसमें संशोधन करें, क्योंकि उसके बाद ही यह जनता के लिए अच्छा बिल सिद्ध होगा। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill. Sir, the hon. Minister, while speaking, has very correctly said that though it is a small Bill, it has wider ramifications, big ramifications, and I agree with him, and I think, this is a timely Amendment Bill which the hon. Minister has brought to this House for its approval.

Sir, today, the number of arms licences are increasing in this country, and more and more people are interested in having licensed arms for their protection or for any other reason. If you look at the figure, I think, to me, it seems alarming. According to an estimate, India has a total of around 35 lakh gun licences, if this information is correct, as of now. Thirteen lakh people have licences to carry weapons in Uttar Pradesh alone, though it is a very big province, the largest in the country, and it is followed by Jammu and Kashmir, with 3.7 lakh people possessing arms licences. It is not a small figure. Punjab has around 3.6 lakh active gun licences. So, you see, the huge valid gun-licences are with people who are permitted to use guns when necessary, and who were permitted to hold, carry, and keep these firearms with them. Sir, one very good provision in this Bill, the hon. Minister has made is that this includes licences for inheritors. Nobody should take my statement otherwise. The former princes, the zamindars, if you visit their old houses, you will find a number of firearms exhibited in their drawing rooms, and it has become a fashion nowadays. They carry more than one licence or more than two licences. So, the hon. Minister has restricted it in the Amendment Bill. Now, not more than two licences will be issued. So, it is a good proposition, Sir. I don't think for any

5.00 P.M.

[Shri Prasanna Acharya]

particular family or for any particular individual, so many gun licences are required. Sometimes, I read reports in the newspapers about the incidence going on in America. In America, it is a common thing. In the United States of America and some western countries. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Do not mention any country's name.

SHRI PRASANNA ACHARYA: I am not mentioning it in a derogatory way. It is coming in the newspapers, and you see, even the school boys are holding licenced guns, and sometimes, incidents happening in the school premises, one boy killing another boy. I am afraid, lest that culture does not affect our society. So, there has to be some restriction, and we cannot allow people to have so many guns in one family and by one individual.

Sir, another thing is that the extra gun has to be surrendered, and it is to be surrendered with the nearest police station. That is understood. It is a welcome proposition. I don't understand one thing. There is a provision in the Bill which says, either it is to be surrendered in the police station or with the arms dealer, if I am correct. I don't understand why this provision is there. Okay; you have an extra gun; you surrender it with the nearest police station, police will take care of the firearm. Why will it be surrendered to the gun trader? I request the Minister to clarify this point while replying to the debate. My apprehension is that there is a chance of it being misused by the gun dealer. Therefore, one has to be very, very careful about it. The hon. Minister has made a very important provision in the Bill. It is most welcome. I congratulate the Minister for this. It is regarding banning the celebratory gun fire.

It has now become a tradition; particularly, my hon. colleague from Uttar Pradesh was saying that in marriage processions or in other social functions, it has become a fashion, a symbol of aristocracy कि हम बड़े आदमी हैं। They are firing! In some societies, it is done traditionally. So, that too needs to be stopped. Gun can't be a symbol of aristocracy. Gun can't be a symbol, अपने आपको बड़ा दिखाने का कोई symbol नहीं होना चाहिए। This mindset or tendency is very bad. That should be curtailed. We should not encourage such type of things in our society.

It is okay that we are going to have a restriction on these things. The negative point I apprehend is on what could be its impact on illegal affair in the fire arms. Will it have a very bad impact on this? On the one hand, you are going to restrict it; on the other hand, the Government must be very careful on what the negative impact would be on the society, particularly on the illegal things that are going on. That is my last point.

With this, Sir, I support this Bill.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): वाइस-चेयरमैन सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। यह जो Arms Act है, इसमें कई बार संशोधन हुए हैं। इसमें arms रखने की जो संख्या है, उसको भी अब कम कर दिया गया है। मैं इसमें दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जो arms लोगों को दिए जा रहे हैं और इसके साथ-साथ जो ammunitions दिए जा रहे हैं, तो आज की तारीख में ammunitions की कोई expiry नहीं बताई जाती है। सब जगह आप देखते हैं कि यह लिखा रहता है कि वह कितने दिनों तक चल सकता है, उसका expiry period रहता है, लेकिन इस लाइसेंस के तहत जितने भी ammunitions दिए जाते हैं, चाहे 12 बोर के हों, चाहे जो भी हों, उनमें किसी में भी expiry date नहीं लिखी रहती है। उसमें इस चीज को लिखना चाहिए कि कब तक उसका use हो सकता है।

दूसरी बात यह होती है कि आप किसी को gun देते हैं, तो gun की क्या-क्या safety होनी चाहिए, gun की सुरक्षा के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, इसकी भी briefing होनी चाहिए। साथ-साथ gun के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। नहीं तो होता यह है कि आप gun का लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, आप gun की safety के बारे में जानते नहीं हैं, सुरक्षा को समझते नहीं हैं, तो आप खुद सेक्शन 302 के मुलज़िम बनते हैं, या आपके पास वाले कोई व्यक्ति सेक्शन 302 के मुलज़िम बनते हैं। आपने यह तो अच्छा काम किया कि आपने celebratory fires को खत्म किया है, लेकिन यह जरूरी है कि सब लोगों को इसके बारे में बताया जाए, जब arms दिया जाए। हरेक जिले में राइफल क्लब होता है। वह यह जिम्मेदारी निभा सकता है। वत्स साहब बता रहे थे कि जिनको लाइसेंस दिया जाए, उनको इसकी handling के बारे में training भी जरूर दी जाए। एक तो यह जरूरी है।

दूसरी एक बात बहुत जरूरी है कि जैसे अभी आपने तीन arms से दो arms किए हैं, तो आपके बहुत सारे arms surplus होंगे। अभी प्रसन्न आचार्य जी बता रहे थे कि आप उनको डीलर्स के पास क्यों देते हैं, यह व्यवस्था शुरू से रही है। ये जो weapons आपके पास आएँगे, आप उनको थाने में कहाँ रखेंगे? आप थानों में चले जाइए, उनका जो मालखाना

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

है, वह ऐसे पड़ा हुआ है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। आपके जो ये weapons extra होंगे, उनके disposal का क्या होगा? साथ ही, जब आप यह व्यवस्था बना रहे हैं, तो public के लिए इसकी पूरी publicity होनी चाहिए कि अगर आपके पास तीन fire arms हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। उनको यह सलाह भी दी जानी चाहिए कि अगर वे उसको बेचना चाहें, तो बेच दें। उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं कि उन्होंने तीन लाइसेंस ले रखे हैं। इसलिए इसके disposal की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

आपने यह बहुत अच्छी चीज की है कि इसमें आपने कुछ में sentence बढ़ाया है। साथ-साथ, आप खुद वकील हैं। Arms Act एक ऐसा एक्ट है, जिसमें अगर ठीक से समय पर prosecution sanction मिल जाए, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कोई प्राइवेट गवाह नहीं होता है, सिर्फ सरकारी गवाह होते हैं, वे भी पुलिस वाले। जितने भी अपराधी हैं, अगर वे सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं, तो Arms Act से डरते हैं। चूँकि Arms Act में आपने यह प्रावधान बना दिया है कि अब तीन साल से ज्यादा सजा भी होगी, अगर आप Arms Act में speedy trial कराएँगे, जैसा हम लोगों ने बिहार में कराया था, तो बहुत सारे अपराधियों को बहुत कम समय में सजा हो जाएगी। इससे कम से कम राजनीति में जो अपराधीकरण की बात होती है, इन अपराधियों के आने पर रोक लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को इसमें speedy trial कराना चाहिए और prosecution sanction पर ध्यान देना चाहिए ।

साथ ही साथ हमें एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि आखिर हम लोग arms देते क्यों हैं। किसी को arms हम इसलिए देते हैं, क्योंकि उसके पास असुरक्षा की भावना रहती है। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि बहुत दूर-दूर के इलाके हैं, वहाँ हम सब जगह पुलिस नहीं दे सकते हैं। जब हम उन्हें आर्म्स देते हैं, तो आप लाइसेंस में साथ-साथ ammunitions लिखते हैं। यूपी में एक समय में मिनिमम 10 ammunitions और मैक्सिमम 25 ammunitions रख सकते हैं। अब आप बताइए, अगर कोई आफत आएगी और वह जान रहा है कि डकैत के पास दस कारतूस हैं, तो वह 10 ammunitions से क्या कर लेगा? इसलिए आप लाइसेंस में 10 से 25 ammunitions लिखिए, जिससे वह 10 से 25 का हिसाब रखे। इसके साथ-साथ हर जगह के लिए इसका स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए। कहीं पर मैक्सिमम संख्या 250 की है, कहीं 25 की है, इसमें एक ही स्टेंडर्ड निर्धारित होना चाहिए। दूसरा, चूंकि आप वैपंस की संख्या को कम कर रहे हैं, तो ammunitions पर्याप्त मात्रा में दीजिए, जिससे वह सुरक्षित रह सके। अंत में इस Arms Act का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI V. LAKSHMIKANTHA RAO (Telangana): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Sir, this amendment in the Arms Act of 1959, after 60 years, I think,

it is required. It is because in the last 60 years, so many changes have taken place, and this being a weapon, definitely, the person who is handling it, and also the Government or the authority which is issuing it, must also be very careful. It is not that just a license is given, and you purchase a weapon. Weapon is something which may take your life or it may take other's life also. Supposing, if you are not trained to use it, it will take your life also. We have seen so many cases where when cleaning a rifle or revolver or a pistol, there was a round in the Chamber, they thought there is no round, and they happily pressed the trigger, the bullet came out and that person was no more. So, this amendment now is really enhancing the punishment, and also reducing the number of guns one can hold. This is good, because for what do you need three guns? There is no sporting, you can't do any *shikar.* Otherwise, what is it that you will do? It is only a gang war to say, 'I have got three weapons and I have got four weapons in my hand.' I have seen some people who are hanging their guns on their Diwani-i-aam or Diwan-i-Khas or whatever it is. Those days have gone. Diwani-i-aam and Diwan-i-Khas days have gone. Now we are in some other era where development is there. We are seeing it. We are able to reach the Moon. Now we are thinking of hanging those guns! What will you do by hanging those guns? I have my own experience. In my childhood also, during Dussehra, the gun was called muzzleloader gun. So, they were all firing in those days. Those days were like that, and it is all right. You have *barood* loaded in that, and you fire it, but today it is not required. And moreover, I can also say that for safety, you need not have a gun because the Government today is also taking care of individuals. It is not that nobody is taking care of you. You can definitely inform the Government and Intelligence Office about it. They will constitute a Committee, and in that Committee, it will also be decided whether you really deserve to have a gunman with you or not. The gunman is a trained person who can really save your life. It is not that simply possessing a gun will save you when the opportunity comes or when somebody attacks you. ...*(Time-bell rings)*... So, those facilities are also given by the Government. I would like to put one question. During the elections for 45 days or 50 days, we have to deposit our guns. At that time, if somebody comes, then, where is the protection? How are you protected? Whatever protection is there it has gone. So, I fully endorse it, and the way it has been drafted or the amendments have been brought really suit today's life. All care has been taken in this Bill. Punishment, for some, is only death. But, that has been

[Shri V. Lakshmikantha Rao]

relaxed to life imprisonment. And, wherever stringent punishment is required, life imprisonment has also been prescribed. So, it is good. We fully accept, approve and welcome this Arms (Amendment) Bill. I am sure, this amendment does, definitely, good to the country and the people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): But, you do not approve; the House may approve the Bill. You only support the Bill. Shri T.K. Rangarajan.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Sir, one major issue which resulted in illegal possession and usage of arms and illegal import of arms into India is this. Many times, media reported about thriving illegal arms market in India. What is the methodology through which you are going to curb it? My point is: It was reported that sophisticated small arms entering into India through border States in all four regions. There are reports about illegal weapons being manufactured in some States. Can the hon. Minister tell this House which are the States where illegal arms are being manufactured? The percentage of people owning licenced guns is less as compared to those who own country-made firearms illegally, and locally they are called as Kattas, etc. It is said that some illegal small factories made 10-12 bore short guns and even rifles. Reports say that local guns are used in robbery, kidnapping and extortion. It is also reported that about 40 million people own guns and 85 per cent of these are unregistered illegal firearms. It is all reported in newspapers. Such illegal weapons are responsible for 90 per cent of homicides involving firearms. So, how is the Government proposing to control all these things through the proposed amendment?

There are also reports that competitive shooters who take part in shooting competitions possess firearms. In some cases, fake shooter identity proofs are suspected to have been used to import not only firearms used in sports but also semi-automatic shotguns and pistols that have no use in games recognized by the International Shooting Sports Federation.

Sir, what I would like to know from the hon. Minister is: Are we ill-equipped to curb illegal import and manufacture of fire arms. If so, what methodology that

the Ministry is adopting to stop it? Or, are we failing to curb it? How such arms are coming into India and through which route? We need answer for this. Our authorities, including policing, needs to be strengthened to check illegal import, manufacture and usage of firearms. Our forces at border and Coast Guard need to be made more vigil and equipped to curb illegal import of firearms.

With these words, I conclude. But, I admit that it is a serious amendment. I think, the Government should try to curb illegal arms. And, those who are possessing them without licence have to be reported, at least, after six months. The House can get a report from the Government as to what it has done with this amendment. Thank you.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill. Sir, the DMK wholeheartedly welcome this Bill and appreciate that laws relating to possession, usage of arms and firearms are tightened. We have witnessed the growing gun culture and it is too dangerous in the society. So, it should be curtailed with an iron hand. We have seen kidnapping, abducting, etc., by using guns.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN) *in the Chair*]

The growing nexus between people possessing illegal firearms and commission of criminal offences are often witnessed and are serious crimes against the society. The increase in illegal arms trafficking is alarming. Therefore, there is a threat to the internal security. I have seen the data of the National Crime Records Bureau of India. It gives alarming figures about the seizure of arms. The unlicensed arms seized from the terrorists are 8,777, as on 2017. And, the unlicensed ammunitions seized from the terrorists are 38,533. The total unlicensed arms seized are 62,145 and the total unlicensed ammunitions seized are 90,214. Therefore, while welcoming this Bill, I would only want to point out certain discrepancies in this Bill.

Sir, if you see Clause 5, Clause 9, and Clause 9(vii), you are referring to Arms Rules, which deal with the category of firearms. The Parliament normally legislates a law and leaves the responsibility of framing rules with the Executive. Here, I see you are depending upon the subordinate legislation by saying that whatever category of firearms as mentioned in the Arms Rules, 2016, will be adopted. Therefore, I would like to suggest here that we should legislate and should not fall back on the

[Shri P. Wilson]

subordinate legislation. So, to that extent, kindly incorporate, as a part and parcel of this Bill, whatever details the Arms Rules, 2016, say. Let us not say that we rely upon what the Executive has framed as Parliament is supreme.

Then, I come to Clause 9, which introduces an amendment to Section 25(1)(ab). The Bill says, "Whoever, by using force, takes the firearms from the police or armed forces, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine". I feel that even without any *mensrea* reaor criminality in such an attempt, you cannot impose a punishment of ten years. So, it is too draconian. In a hypothetical case, a law-enforcing authority is indiscriminately opening fire against innocent mob and if he is prevented by someone, this provision will punish an innocent public man who had attempted to stop the said indiscriminate firing by such a law-enforcing person. Therefore, we should penalise if *mensrea* is there. And, only when a person attempts to forcibly take away arms from the law-enforcing authority or the armed forces with a criminal intention to commit any defence, he should be punished under this provision. So, kindly consider that this provision has to be either to be deleted or some other safeguard has to be provided. ...*(Time-bell rings)*...

Then, I see one more provision in Clause 10, where you have amended Section 27(3). With great respect to you, Sir, I would like to submit here that this Section 27(3) had been struck down by the hon. Supreme Court in the case of Punjab Vs. Dalbeer Singh, while striking down section 27(3) the hon. Supreme Court had observed that Section 27(3) was harsh, unjust, unfair and it did not give any option to the court to impose punishment. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. WILSON: Therefore, Sir, I would only suggest that you can reintroduce Section 27(3) because it had already been struck down by the hon. Supreme Court. There is no such provision as such existing in our statute look today. In such a situation, where does the question of amending a provision, which does not exist at all, arise? So, you will have to necessarily reintroduce that provision. I don't find fault with you. I find fault with the draftsman. You please instruct the draftsman

person and reintroduce that provision. And, when you reintroduce that provision, you should give powers to the court to impose punishment. You cannot say, "Either punishable with death or with a life imprisonment". You are giving only two options to the court. In the words of the Supreme Court, I would say that this provision would become unconstitutional and liable to be struck down if it is challenged in the court. With this, I welcome this Bill. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Dr. Narendra Jadhav. You have two minutes.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to wholeheartedly support the Arms (Amendment) Bill, 2019. The situation of gun-related violence is absolutely dismal in our country. As per a study undertaken in 2016, India ranked third in the world in firearms-related deaths which amounted to 26,500. In addition, in the recently released Report of the National Crime Records Bureau, 2017, two interesting statistics stand out. One, about 98.8 per cent of the total crimes were committed using firearms which were illegal or unlicensed. Secondly, out of 63,000 plus firearms seized under the Arms Act, 94.3 per cent of them were unlicensed, improvised, crude or country made - 'katta' as they are referred to. These numbers paint a dreary picture of the current firearm situation in our country. It reflects the menace of unlicensed guns within the country, poor regulations and poorer implementation. This Arms (Amendment) Bill has several commendable additions and modifications, which seek to address several existing lacuna with gun control laws in India. One, it limits the number of firearms allowed per person from three to two. Two, the punishment prescribed for the contravention of the various provisions has been enhanced. For manufacturing, procuring, obtaining, selling, transferring unlicensed firearms, the punishment has been increased from three to seven years to life imprisonment. ...*(Time-bell rings)*... I need one more minute, Sir. The punishment for using force to snatch firearms has also been increased to 10 years.

Another welcome addition in the Bill is the offence of using firearms in a celebratory gunfire, which endangers human life and personal safety. While supporting the Bill, I would like to express some concerns which could be accommodated in the rules. The only concern that I want to highlight is that the conditions for granting licence should be made stricter. Currently, the licensing

[Dr. Narendra Jadhav]

authority only examines the past record of criminal activity of the applicant. There should be additional conditions imposed, including vetting of drug and alcohol use, relationships with potentially dangerous and abusive people. For all prospective firearms owners, there should be a mandatory firearms safety course, and they must pass written and practical exams. With these remarks, I commend the Bill for passing. Thank you.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल के जरिए हमारे देश में जो बंदूक की संस्कृति है, उसे सही ढंग में लाने के लिए यह एक सही दिशा जरूर दिखाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। सर, इसके साथ, मैं आपके जरिए हमारे मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ और इसके ऊपर भी विचार करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ - आज हमारे देश में जो बंदूक का व्यवहार है, उसके लिए लाइसेंस किस तरह से मिलेगा, इस विषय पर यह बिल है। लेकिन हमारे देश में जो बंदूकें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, सशत्र संग्राम के नाम, armed revolution के नाम पर extremist group वाले लोग जो कर रहे हैं, उनके द्वारा जो बंदूकें व्यवहार में लाई जा रही हैं, इसके लिए क्या कानूनी व्यवस्था होगी? आज extremists की तरफ से बंदूक के साथ-साथ बहुत सारी explosive चीज़ें रिकवर की जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी-कभी इसको हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से गलत काम में भी यूज किया जाता है, जिसके बहुत सारे प्रमाण हैं। बाकी, जो लोग आज सरकार के साथ आलोचना के नाम पर आए हैं, उनके हाथ में बन्दूकें हैं। उनके द्वारा बन्दूक-व्यवहार के समय वहाँ पर किस तरह का कानून व्यवहार में होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह बन्दूक कल्चर last more than 30 years से चल रहा है। हमारे देश में उग्रवादी हैं और ये उग्रवादी के नाम पर चाहे सरकार से बात करें या न करें, इन्होंने सारे लोगों को आतंकित करके रखा है। ऐसी बहुत-सी घटनाएँ घटी हैं, जिनके कारण unnecessarily बहुत-से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए इस विषय पर भी सोचना बहुत जरूरी है कि इसके लिए क्या किया जाए। आज जो लोग उग्रवादी बनकर, बन्दूक चलाकर आ रहे हैं, उनमें से पार्लियामेंट के सदस्य तक बन चुके हैं। वह भी असम से sitting MP है, जो पहले उग्रवादी था और उसने कभी भी arms surrender नहीं किया, उसके ऊपर केसेज़ हैं। वह पहले बन्दूक पकड़ता था, लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, जो उसे वहाँ से लोक सभा इलेक्शन लड़ने से रोक सकता था। सर, वह इलेक्शन में निर्वाचित हो गया, आज एमपी बनकर बैठा है, लेकिन वह बन्दूक संस्कृति के ज़रिए आया है और उसने आज तक बन्दूक जमा नहीं की। अगर हमारे देश में ऐसे ही चलेगा, तो फिर इस देश की कैसी हालत होगी? अगर हम इस स्थिति को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करें, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे विषय पर भी हम कुछ कानून बनाने की

कोशिश कर पाएँगे। ऐसी बहुत-सी चीजें हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर हम ऐसी चीज़ों के ऊपर, बन्दूक पर, बन्दूक चलाने के ऊपर, उसको व्यवहृत करने पर, गलत काम करने पर कानून ला सकते हैं, तो फिर जो संग्राम के नाम पर बन्दूकें चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करना तथा उनको भी कानून के दायरे में लाना बहुत ही जरूरी है।

सर, अभी नॉर्थ-ईस्ट में सब ceasefire है, लेकिन वहाँ उनके जो कैम्प्स हैं, उनमें बन्दूकें हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वह लोगों को वहाँ की बन्दूक संस्कृति दिखाने के लिए उसे टूरिज्म मैप पर भी ला सकता है। वहाँ पर यह designated काम है। वहाँ आप कभी भी जाइए, आप वहाँ घुसकर उग्रपंथियों के साथ चाय पी सकते हैं और आप उनके साथ आराम से बात करके आ सकते हैं। ऐसे सारे sophisticated arms, जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी नहीं हैं, वे भी हमारे यहाँ उग्रपंथियों के पास हैं। वह सारा खुलेआम है। अगर उसके ऊपर भी कोई कानूनी अंकुश नहीं होगा, तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या कुछ हो जाए।

सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार से संग्राम के नाम पर आर्म्स व्यवहृत किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ न कुछ कानून होना चाहिए, जिसको मानकर उनको चलना पड़े। अभी वे ceasefire में हैं, ताकि वे extortion न कर सकें, किसी को किडनैप न कर सकें। अगर कोई किसी को किडनैप करता है, तो उसके ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड को अरेस्ट किया जाए। चाहे उस किडनैपिंग के लिए वह जाए या न जाए, लेकिन अगर वह उस ऑर्गेनाइज़ेशन का हेड है, तो उस नाते उसके लिए responsible वही होगा। इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

सर, मैं आपके ज़रिये यह बता ही चुका हूँ। आज होम मिनिस्टर यहाँ पर हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ये असम में जाकर यह खबर ले सकते हैं कि कैसे एक उग्रवादी नेता बिना बन्दूक जमा किए एमपी बन सकता है। इसको मैं आज इस हाउस के नोटिस में लाया हूँ, धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Arms (Amendment) Bill, 2019, moved by the hon. Home Minister. Sir, the existing Act has a lot of discrepancies which led to the difficulty in controlling the brutal crimes, organized crimes and crime-related incidents which have been going up year after year. So, on behalf of the YSR Congress Party and our Party President, Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, I welcome this Bill. I also welcome this Bill for another reason because it is giving a special status to sportspersons.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

How can anybody be justified to own three or more firearms in the name of personal security? One needs only one firearm in case it is required because nobody can fire two firearms at a time. Therefore, having more than one firearm is not at all justified. So, I welcome this proposal to amend Section 3 of the Act and restrict the number of arms to one. I did not understand why anybody wants three firearms, except as a status symbol.

My next point that I wish to make is, if you calculate the number of arms licences that are issued for every lakh of people, particularly with reference to Andhra Pradesh, it is very low. On an average, it is about 12-13 for every one lakh population. This does not mean that people in Andhra Pradesh do not have any threat. Threat perception will always be there. But the number of gun licences held by the people in Andhra Pradesh is relatively less when compared to the number in other States.

My next point is related to second-hand arms which are being used for decorative purposes. Though they are real, they are very very old, outdated and obsolete. Their cartridges and firepower are not available in the market; they are only kept for decorative purposes. I request the hon. Home Minister to exclude these from the total number.

The last point which I would like to make to the hon. Minister is that the misuse of even licensed arms is also going up. According to the National Crime Records Bureau's Report of 2016, in Punjab, 48 people were murdered by the use of firearms. Out of these, 22 were by using licensed firearms and 26 were by using illegal firearms. So, the point which I am trying to make is that the crime rate is going up whether it is on account of licensed firearms or otherwise. The latest NCRB Report of 2017 does not give any break-up of murders using firearms. But the unofficial report says that this is definitely on the rise. The Report of 2018 is also not better.

With these observations, I commend and support this Bill.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जैसा कि पहले लाइसेंस प्रतिष्ठा से जुड़ा था, उन्हीं प्रतिष्ठित लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस होते थे। बाद में

यह सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों से जुड़ा। वर्ष 1980 के दशक में आया कि वह सबसे बड़ा नेता जिसके साथ 10-15 शस्त्रधारी चलते थे, वही बड़ा नेता कहलाता था।

(सभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

महोदय, वर्ष 1959 में जो अधिनियम बना था, उसमें भी अस्त्र-शस्त्र की तस्करी पर और इसे अवैध रूप से रखने वालों के विरुद्ध कानून बना था । कानून बनाने के बाद अवैध हथियारों पर रोक नहीं लग सकी, बल्कि दिन-प्रतिदिन अवैध हथियारों की तस्करी होती रही। चीन के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा हथियारों की तस्करी होती रही, समय-समय पर मीडिया के माध्यम से पता चलता रहा कि अवैध हथियारों का बहुत बड़ा ज़खीरा पकड़ा गया ।

महोदय, आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 में माननीय मंत्री जी द्वारा कड़े कानूनों का प्रावधान किया है । अवैध हथियार रखने वालों और इनकी तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सज़ा व जुर्माने को काफी बढ़ाया गया है । यह बहुत अच्छा कदम है, किन्तु जब अवैध हथियार रखने वाला या बेचने वाला व्यक्ति पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा जाता है तो वह एक या दो दिन में जमानत पर छूटकर बाहर आ जाता है। महोदय, हमारे देश में न्यायालयों के अंतर्गत ट्रायल की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, न्याय पाने में 10 या 15 साल लग जाते हैं। मेरा सुझाव है कि ट्रायल जल्दी हो और अपराधियों में डर पैदा हो।

महोदय, बिल के पैरा 25 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से रायफल या किसी प्रकार का कोई शस्त्र छीन लेता है तो उसमें अभियुक्त को 10 वर्ष तक को कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान है। महोदय, इसका नकारात्मक पहलू यह है कि पुलिस बल वाले रंजिश के आधार पर किसी को भी झूठा फंसा सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपराध के न फंसाया जा सके। सर, शस्त्र लाइसेंस के नवीकरण के लिए. ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: राइट। एक बार कहने के बाद ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह: तीन से पांच साल तक बढ़ाया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। महोदय, इसको कन्क्लूड करते हुए मेरा एक सुझाव यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास शस्त्र लाइसेंस है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत जब उसके वारिस उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि उसके पिताजी के नाम पर जो लाइसेंस है, वह उसके नाम पर हो जाए, क्योंकि वह उसके बुजुर्गों की निशानी है। सर, शस्त्र लाइसेंस बनने में बहुत समय लग जाता है. ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri Digvijaya Singh.

श्री वीर सिंह: उस राइफल को हम दुकान पर जमा कर देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बस, बस। मेरे कहने के बाद रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप इसे support कर रहे हैं, तो किंतु-परंतु क्यों? ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह: वह वहां गल जाती है। ...**(व्यवधान)**... इसी सुझाव के साथ...**(व्यवधान)**... मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। यदि आप Amendment के Statement of Objects and Reasons देखेंगे, तो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4 में इन सभी में illegal arms पर नियंत्रण करने के लिए यह कानून लाया गया है। इसके ठीक विपरीत आप प्रताड़ित किसे कर रहे हैं? जो विधिवत लाइसेंसधारी हैं, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? विधिवत लाइसेंसधारी के तीन लाइसेंस से घटाकर दो करने का क्या औचित्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी अक्टूबर में ही कुर्ग (कोडगु) क्षेत्र में विधिवत रूप से कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको आपने 2029 तक बढ़ा दिया है, लेकिन बाकी देश के लिए आप तीन से घटाकर दो कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि चार लाख से ज्यादा जो henious crimes हुए हैं, जो unlawful acts हुए हैं, जो violent crimes हुए हैं, उनमें केवल 300 लोग ऐसे थे, जो कि लाइसेंसधारी थे, यानी कि 0.08 प्रतिशत। पंजाब के सी.एम. साहब ने भी कहा है कि आप मत घटाइए। अब बात यह है कि मैं उन लोगों की पैरवी कर रहा हूं, जो ex-servicemen हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके heirlooms हैं, ये antique pieces हैं। इनको आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? अगर आपको कम करना ही है, तो कम से कम heirlooms और hereditary weapons के लिए आप नियमों में परिवर्तन कर दीजिए और नियमों में परिवर्तन करके आप उनके ammunitions मत दीजिए, लेकिन आप उनको retain करने का तो अवसर दे दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने sports आदि के लिए जो सहूलियतें दी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसी के साथ-साथ जितने भी भूतपूर्व राजा-महाराजा हैं, उनकी प्रशंसा स्वयं श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने बड़ा त्याग किया है, अपनी रियासत का विलय कर दिया। अगर उन्होंने उनकी इतनी प्रशंसा की है और आप उन लोगों के विधिवत आर्म्ड लाइसेंस कम कर रहे हैं, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। मैं आपसे ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़, आपको पार्टी ने सात मिनट दिए हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, आप मुझे दो मिनट दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude in two minutes. No problem.

श्री आनन्द शर्मा: सर, अभी दो मिनट ही हुए हैं।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, let me speak. दूसरा, मैं आपसे अनुरोध ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The Bill has to be concluded by 6.15 p.m. That is the issue.

श्री दिग्विजय सिंह: इसी के साथ-साथ माननीय गृह मंत्री जी, अगर आपको illegal arms को रोकना है, तो आप दीमापुर की मंडी में चले जाइए। वह illegal arms की मंडी है। आप जैसे हथियार चाहते हैं, वैसे हथियार वहां से खरीद सकते हैं। यही नहीं, आपने पुलिस के अधिकार और बढ़ा दिए हैं, आपने punishment बढ़ाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन आपने अधिक से अधिक हथियार पुलिस वालों के हाथ में दे दिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां पुलिस वाले कट्टे अपने साथ रखकर किसी को भी फंसा देते हैं और उसके बाद वसूली होती है। हम सब इस बात को समझते हैं। आपने हर्ष फायरिंग पर रोक लगायी है, उसमें दंड का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन Clause 7, Section 13 में कहा है कि air rifle के लिए भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। यह तो harmless है, इससे तो आपके license की प्रक्रिया और बढ़ जाएगी, paperwork बढ़ जाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। Renewal का आपने तीन से पांच साल किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जब आप तीन से पांच साल कर सकते हैं तो आप इसे lifetime के लिए क्यों नहीं कर सकते? जब आपको किसी के license को कैंसिल करना होगा तो वह अधिकार तो आपके पास है ही। महोदय, आज renewal के समय सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो जो arms clerk होता है, उसको होता है, इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इसका जितना सरलीकरण कर सकें, करें। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है और प्रतिष्ठा उन लोगों की है जिन्होंने नियम और कानून का जीवन भर पालन किया है। जिन्होंने सरकार के नियमों और कानूनों का पालन करते हुए हमेशा अच्छे नागरिक होने का सबूत दिया है, आप उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि कानून आप लाए हैं, illegal arms वगैरह के लिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मैंने इसमें अमेंडमेंट भी दिया है, इस पर बिल्कुल विचार-विमर्श नहीं हुआ है। मैंने इस संबंध में motion भी move किया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसे Select Committee को सौंपा जाए और इस अमेंडमेंट के बारे में मैं अपनी बात, जब मैं अमेंडमेंट मूव करूंगा, तब कहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Harshvardhan Singh Dungarpur. Please take five minutes only. I think, the Deputy Chairman was very liberal with others.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, I stand here to support all the provisions in the Bill except Clause 3, where I have a few things to say. The main issue is that they have reduced the arms licence

[Shri Harshvardhan Singh Dungarpur]

from three to two arms. Most of the people, who own three weapons, are very responsible people of the society. So, it is wrong to deny them a licence for the third arm. A lot of arms licences are held with old traditional families and they have a lot of sentimental value attached to them. Most of them are like heirlooms and they have been held for centuries. They have been passed from generation to generation, and these people mostly take them out once a year on Dussehra and they do puja. So, there should be a special section. I agree with Shri Digvijaya Singh that there should be a special section for heirloom weapons. So, I suggest that there should be two weapons that a person can keep as an heirloom without destroying the value of the weapon. You may not issue ammunition for the weapon, but a person can keep as an heirloom weapon and have two active arms, for which you can give ammunition. My suggestion is: de-link active arms licence from the heritage arms licence. So, two plus two arms can be allowed. Since my time has been reduced to five minutes, I have to rush through my speech.

The other issue is that most of the crimes are committed with illegal weapons, as the previous speaker has just stated. There are hardly any crimes committed with licensed weapons. A lot of so-called murders committed by licensed weapons are done in self-defence, but they are also registered as murders. If a person tries to defend himself and shoots somebody, it is registered as a murder. Suicides are also counted in this.

So, one has to take this into account when one is actually calculating the figures.

A lot of these old weapons are hand-crafted weapons and they are pieces of art. So, it will be really sad if they are to be deposited with Police, where they will certainly be destroyed. So, we should be allowed to keep these weapons.

Lastly, Sir, we all learn shooting with small arms, like .22 smooth bore. So, I request that if we allow a person to keep a third arm, it should be a .22 smooth bore, so that as children, they can be allowed to start shooting and practising and ultimately become renowned shooters and bring laurels to the country. As you can see, the shooting sport has brought a lot of laurels to the country. So, that is my main suggestion. Sir, I again request the Government to keep it 2+2. I have my reservations. Please, do not reduce the limit of three arms. If not, then, please make it two heritage heirloom weapons that we can retain without reducing the value of

the weapon. That is a very important point and it should be included in the rules. Please do not issue ammunitions. The weapon is deactivated and it cannot be used. So, we should be allowed to keep two active weapons.

MR. CHAIRMAN: They are reducing your number of weapons and I am reducing your time. What can I do? The next speaker is Shri Sanjay Singh, not present. Binoy Viswamji, what do you want to say?

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, this is a welcome step by the Government. But, for the same reasons, for which the Government has introduced here to make two from three, I am asking the Government as to why not one, because the gun culture is spreading all over the world. It is spreading from America to India. Even school children are using the guns. Guns are not a symbol of anything, they are the symbol of a value system propagated by the market fundamentalism. There are no human values, no love, no respect, nothing is there in the market, that is the gun culture. So, to fight the gun culture, I request the Government to think of providing one gun only. I request the Government to think about the proposals made by Shri P. Wilson. They are very valid points. I want to make one more point, Sir. I request the Government to seriously consider that sometimes the law-enforcement agencies use unlawful measures in using the guns. That should be prevented by all means.

MR. CHAIRMAN: You have made a good point.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Firstly, I must congratulate hon. Home Minister and Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Kishan Reddyji, a Telugu pride, who has introduced this Bill. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: We are discussing about weapons and you are not worried. This is noise. Noise and weapons cannot go together.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, the provision of granting license is there under Clause 2(ea). But, guidelines have not been framed, they will be separately framed. But, a minimum criterion has to be incorporated in the Section itself for better control. Sir, illegal trading is growing day by day. In the name of private security agencies, licenses are being misused. Some celebrities, actors and

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

political leaders are appointing personal assistants like bouncers, who carry weapons, and this could create havoc. A comprehensive law is required for that purpose too. Recently, hon. Supreme Court has categorically stated that in these aspects, the law-enforcing agency is taking lenient view with regard to these types of offences. However, the present trend is gun culture and keeping arms has become a status symbol. Now, under the guise of speedy justice and instant justice, the gun is being misused frequently. Speedy justice and instant justice are totally different. Speedy justice can be permitted, but instant justice cannot be permitted under this system. Persons holding constitutional positions should not get carried away by these emotions. The State police, the Central Police and Armed Forces must also not get carried away by such emotions and use the guns.

Thank you, Sir.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सर, इसमें मेरा कोई खास वास्ता नहीं था। ...**(व्यवधान)**... मैं तो कलम वाला आदमी हूँ, सिर्फ तलवार पर आ रहा हूँ। सर, मैं बस दो छोटी-मोटी सलाहें देकर, बिल का समर्थन करता हूँ। I would ask both the Union Minister and the Minister of State in the Ministry of Home Affairs to look at the Statement of Objects and Reasons. They are not in synchronization with the Chapters and Sections. So, you have to re-work on that. Sir, the contribution of the total gun crime is only 2.8 per cent. If you look at the statistics, 95 per cent of murders have been committed from non-licensed guns or firearms. Sir, the third issue is about States like Punjab and Kashmir. About Punjab, the Chief Minister has taken up the matter. Even my colleague, Bajwa sahib has written to the Minister and the hon. Prime Minister.

Finally, Sir, I would like to say that I believe that in cases of celebratory firing, the punishment is still very low. मैं ऐसे इलाके से आता हूं, जहां कुछ समुदायों में जब शादी होती है, तो शामियाना वाला पूरी कीमत पहले रखवा लेता है, क्योंकि शामियाने में बंदूकों से इतने छेद हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि... धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri B.K. Hariprasad.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, it is a great pleasure to see you smiling and laughing.

MR. CHAIRMAN: I rarely laugh at others. Please speak. There is one more Member from your Party.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I will confine myself to the allotted time. Sir, I rise to speak on the Arms Amendment Bill, which has been introduced in this House. There is lot of ambiguity in the Bill. It does not provide rules keeping in mind the special needs of different States. It does not take into account the needs of people living in isolated areas. It does not differentiate between art pieces and the regular combat, as my colleague Shri Digvijaya Singh has said. Sir, in this Bill, they have spoken about arms and ammunition. Sir, arms may be anything. It need not be the firearms only. Even swords or lathis could be arms. The Minister would have brought some issues on this, I could have understood because some of the organizations encourage people to take up swords and fight their enemies. It is illegal.

As far as the Bill is concerned, I will confine to the State of Karnataka. Digvijaya Singh ji has also said about Coorg. It is one of the most beautiful places on the planet. Right from 1878 when the Arms Act was introduced, which was later amended in 1956, in Coorg — 2.5 lakh population is there--each family as a tradition owns the arms and ammunition. It is a sacrament for them. In each festival, whether birth or death, they celebrate and they have to fire some shots in the air to celebrate a birth or mourn a death. In that case, they have reviewed the provisions and after ten years, they are going to review it. I think, they should keep off the Coorg. It is one of the glorified tribes in the country, which has contributed immensely to the Armed Forces. Right from Field Marshal, Kariappa and General Thimayya, a lot of Majors, Lieutenant Generals, Lieutenant Colonels and Brigadiers are from that part of the District. Out of 2.5 lakh population, around 10,000 people are in the Armed Forces. I think, they should be exempted from any kind of licencing because for hundreds of years, no crimes have been reported because of the firearms. It is their tradition and culture. I think, the House and the Government should honour it without interfering in their affairs.

Secondly, Sir, there are large number of farmers and the tribals and others in the country who live in far off and isolated places and need more than one firearm for their protection even from the wild animals. So, I think, this should be considered. Especially people in the tribal areas need to protect themselves not only

[Shri B.K. Hariprasad]

from the wild animals but also from some of the organizations who try to threaten them. So, they have to protect themselves. Sir, I would request the Government to consider these emotional issues before passing this Bill. Thank you.

श्री सभापति: डा. अशोक बाजपेजी जी। कृपया ब्रीफ में केवल पांच मिनट बोलें।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं The Arms (Amendment) Bill, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी जो संशोधन लेकर आए हैं, यह बहुत ही व्यावहारिक और सामयिक है। इस समय आर्म्स एक्ट में संशोधन की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो लगातार घटनाएं घटी हैं, उनमें कहीं न कहीं इन वैपन्स का उपयोग हुआ है। इसे लेकर गंभीर चिन्ता रही है कि समाज में अपराधों का बढ़ना और विभिन्न प्रकार के अपराधों का होना जारी है, इसलिए इन आर्म्स के ऊपर अंकुश लगे।

मान्यवर, जिन लोगों के पास ये लाइसेंसी हथियार होते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी होती है और वे उसे सुरक्षित रखते हैं और वे प्रयास करते हैं कि उनका कहीं दुरुपयोग न हो, लेकिन जो unlicensed arms हैं और जिनके लिए जगह-जगह cottage industries, गांव-गांव में बनी हुई हैं, जहां कट्टे बनाए जाते हैं या छोटी-छोटी रिवॉल्वर या बन्दूकें बनाई जाती हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। बिहार के मुंगेर में तो इस प्रकार की इतनी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं कि वहां से पूरे देश में इनकी सप्लाई होती है। देश में ये स्थितियां हैं और इन हथियारों के कारण ही इस प्रकार के अपराध होते हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो इस प्रकार से illegal arms का उद्योग पनप रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का इस बिल में कठोर प्रावधान किया है। इस बिल में उनकी सजा भी बढ़ाने का काम किया गया है और इस तरह के हथियारों को जो रखेगा, जो इनका व्यापार करेगा या ट्रांसप र्टेशन करेगा, उन्हें कठोर सजा देने का भी प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्षों से तीन हथियारों के लाइसेंस धारक हैं, उनके लिए भी माननीय मंत्री जी ने इस बिल में अमेंडमेंट के द्वारा दो लाइसेंस का प्रावधान किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह किया जाना चाहिए कि जिनके पास वर्षो से तीन लाइसेंस हैं, उनके जीवन काल में वे तीन लाइसेंस बने रहें और उसके बाद फिर कोई नए तीन लाइसेंस नहीं बनाए जाएं। यदि इस तरह का संशोधन मंत्री जी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को भी इससे राहत मिलेगी और तमाम सारे लोग भी इस बिल का स्वागत करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद डा. अशोक बाजपेयी जी। अब श्री प्रताप सिंह बाजवा।

डा. अशोक बाजपेयी: महोदय, आपने तो मुझे पांच मिनट बोलने के लिए कहा था!

श्री सभापति: फायरिंग करने के लिए उतना समय नहीं चाहिए।

आज सुबह Business Advisory Committee में यह सुझाव दिया गया कि छोटी पार्टीज़ को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि उसके लिए बड़ी पार्टीज़ को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस सदन में बड़ी पार्टीज़ वर्तमान में कौन हैं-एक आप लोग हैं और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए यदि दोनों थोड़ा-थोड़ा समय त्याग करें, तो बाकी छोटी पार्टीज़ के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): सर, यह बिल हमारी स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसके बारे में प्रधान मंत्री जी को लिखा हुआ है। मैं विशेष रूप से होम मिनिस्टर साहब से यह अपील करना चाहूंगा कि वे यह देखें कि एक तो 70 फीसदी पंजाब गांवों में रहता है और वहां से 80 फीसदी हमारे लोग, जिन्हें डेरा कहते हैं या फार्म हाउसेज़ कहते हैं, उन छोटी-छोटी जमीनों पर रहते हैं। वहां जंगली जानवर, नीलगाय और जंगली सुअर होते हैं, उनके लिए राइफल का होना बहुत जरूरी होता है। जब आप शहर में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो पिस्टल और रिवॉल्वर का होना जरूरी है। अत: मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं और जैसी कि हमारे बहुत सारे मैम्बरों ने भी यह बात कही है कि जिनके पास लाइसेंस हैं, वे सारे लोग, सोसायटी के eminent लोग हैं। उनमें कोई ऑफिसर्स हैं, कोई पोलिटिशियन्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं और कोई स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है। क्रिमिनल आदमी को तो लाइसेंसी हथियार की जरूरत ही नहीं है।

मंत्री जी, आपके जो रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, उनके मुताबिक भी 98 परसेंट क्राइम तो इल्लिगल वैपन्स से हो रहे हैं। आप बिल लाए, बहुत अच्छा किया और आप बहुत सारे नए कदम उठा रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। मगर हमारे डा. अशोक बाजपेयी साहब ने अभी जो बात कही, मैं उनसे सहमत हूं और मेरा भी suggestion यह है कि जो लोग बाकायदा आपके हुक्म की पालना करते हैं, उन्हें सज़ा मत दीजिए। आप तीन से दो लाइसेंस मत कीजिए। एक आदमी के जीवन में अगर तीन लाइसेंसी हथियार हैं, तो उन्हें रहने दीजिए। यदि कोई फ्रैश आए, तो उसे सिर्फ दो allow कर दीजिए।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये एक वैपन का provision लेकर आए। मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, वे बहुत चतुर हैं, सयाने हैं और काबिल हैं उन्होंने जब देखा कि सारा feel of the House और इनके अपने मैम्बर्स भी जब इनके खिलाफ हैं, तो इन्होंने लोक सभा में अपनी स्टेटमेंट बदल कर, एक की जगह दो लाइसेंस देने की बात कही। अब मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं,

6.00 P.M.

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए आप दो से तीन की बात, राज्य सभा में मान जाइए। एक से दो पर आप लोक सभा में आ गए, यहां आप दो से तीन पर मान जाइए, हम भी आपकी तारीफ करेंगे।

महोदय, मैं चाहूंगा, जैसी बात श्री दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि थोड़ा सा stakeholders को टाइम दीजिए, इसे सलेक्ट कमेटी को भेजिए। अगर इस प्रकार से 72 साल चलते रहे, तो अब तीन महीने बाद, अगला बजट सैशन आना है, तब तक सारे स्टेकहोल्डर्स से बात हो जाए, जितने लोग लाइसेंसेज़ रखते हैं, उनकी बात भी आप सुन लीजिए, अच्छी बात होगी। मैं विशेष तौर पर अपनी कम्युनिटी के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, और हिन्दुस्तान में ऐसी बहुत सारी races हैं, जो अपने हथियार को, अपनी जमीन को उतनी ही इज्जत और मान देती हैं, जो अपनी मां को देती हैं।

आप हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलिए। Punjab has undergone a lot of turmoil. मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप ऐसे मत कीजिए, थोड़ा-सा वक्त और दीजिए, आप इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। मैं अपने मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने चंद महीने पहले रेड्डी साहब की फोटो देखी। सर, दशहरे से एक दिन पहले शस्त्र पूजा होती है। ये बंदूकें रखकर उनकी पूजा कर रहे थे। मैं आपसे यह कहूंगा कि कम से कम बंदूकें तो मत छीनिए। आप खुद तो शस्त्र पूजा करते हैं, लेकिन बाकियों से कहते हैं कि संख्या कम कर दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप बहुत काबिल हैं, बहुत नेक हैं, आपने एक बात लोक सभा की मान ली है, इसलिए एक राज्य सभा की भी मान लीजिए। मैं इतना ही कहते हुए आपका बहुत मशकूर हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी, आपके पास एक मिनट है। ...**(व्यवधान)**... केवल शस्त्र, अस्त्र नहीं। शस्त्र और भी कुछ हो सकता है।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, तब तक मेरा एक मिनट निकल जाएगा।

सभापति जी, मैं दो बातों का समर्थन करता हूं कि इन्होंने एक अच्छा काम तो यह किया है कि इसका रिन्युअल तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल तक दिया है। जो लोग शादी-बारात में गोली चलाते हैं, आपने उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रोविज़न रखा है, मैं इसके लिये भी आपको बधाई देता हूं। अगर आप इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे तो मुझे इसके किसी भी क्लॉज़ पर कोई एतराज नहीं हो सकता है। आप इसमें एक क्लॉज यह जोड़ दीजिए कि थानों में लोगों को फंसाने के लिए जो इल्लिगल आर्म्स रखे जाते हैं, अगर वे पाए जाएंगे तो पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?

दूसरा, यह जो 5 (ए) (बी) है.. 25 में (1AB) है, इसको डिलीट कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, रोजाना प्रदर्शन करते हैं। पुलिस कहेगी कि मेरा असलहा छीन रहे थे, इसलिए लाइफ इम्प्रिज़नमेंट होगी। इसके दुरुपयोग से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप इसको डिलीट कीजिए, बाकी सब ठीक है। आप इसमें पुलिस वाली बात जोड़ दीजिए।

श्री सभापति: यद्यपि अभी दो महिलाएं बाकी रह गई हैं, पर मैं मैम्बर्स की स्पीच को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मेरे ख्याल से महिला को उतने शस्त्र की जरूरत नहीं है, बाकी लोग आपकी रक्षा के लिए प्रयास करेंगे। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रूपा गांगुली: सभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैंने कहा न कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है, इसलिए प्लीज़ बैठ जाइए। रूपा जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: सर, एक महिला को तो बोलने दीजिए। ठीक है, दोनों महिलाओं में से एक महिला बोल सकती है। रूपा जी, आप ही बोलिए।

श्रीमती रूपा गांगुली: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**... सर, एक-दो मिनट की परमिशन मिल सकती है?

श्री सभापति: दो मिनट बोलिए।

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित): सभापति जी, पहली बात तो यह है कि मुझे इस बिल पर बोलने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत अच्छा-खासा शूट भी करती हूं। मुझे बंदूक चलाना आता है और इसको चलाने में बहुत मजा भी आता है। It is a sport. वे सभी लोग, जो बंदूक लेकर रखते थे, वे सारे खराब जमींदार थे, ऐसा नहीं है। मैं यह नहीं मानती हूं और जिनके पास बंदूकें हैं, उन सभी को तीन की जगह दो बंदूकें करनी चाहिए, मुझे यह जानकर भी अच्छा नहीं लगा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बिल में और बहुत अच्छी बातें हैं। इस बिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वह illegal weapon की है। सबसे मुश्किल बात पश्चिमी बंगाल की है। वहाँ पर पार्टी के घर के कमरे में इतना ज्यादा arms ammunition रहता है कि इस कानून की वजह से सारे के सारे पकड़े जाएंगे, सब निकल जाएगा। यह एक बहुत अच्छी बात होगी। जिनके पास licensed guns है, अगर वे कभी गलत यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके पास से कभी भी दूसरा या तीसरा लाइसेंस नहीं निकालना चाहिए। अगर उनके रेकॉर्ड पर कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है, तब यह करना उचित नहीं है।

सर, अगला प्वाइंट यह है, यह सच है कि मंत्री जी ने कहा है हमारे राज्य में, खास कर कॉटेज़ इंडस्ट्री हो गई, खास कर हमारे कुछ राज्यों में, मैं उनका नाम नहीं ले सकती

[श्रीमती रूपा गांगुली]

हूं, आप मुझे अभी रोक देंगे। रूलिंग पार्टी ऑफिस में गोला बारूद लिए बैठे रहते हैं। वे संगठन, जो आतंकवादी हैं, जो पूरे देश भर में अलग-अलग जगहों पर हैं, उनके लिए तो यह बहुत अच्छा है कि इसमें लाइफटाइम इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन अगर इसमें फांसी हो जाती तो और भी अच्छा होता।

सर, जो गन ऑल्टर करते हैं, नली छोटी करते हैं, उन्हें इसे छोटा करने का मजा इस चीज़ में आता है कि वे ज्यादा लोगों पर छर्रा फेंक सकते हैं। जो ऑल्टर करते हैं, आपने उनके लिए सिर्फ लाइफटाइम इम्प्रिज़नमेंट रख दी है, जो कि अच्छा नहीं है। इसकी बजाय उनको खत्म करना ज्यादा अच्छा रहता।

मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो पॉलिटिशियन्स हैं, इन्होंने बहुत सालों से ऐसा रूल चलाया है, लेकिन अभी न्यू इंडिया है, इसलिए इस न्यू इंडिया में हमें ऐसा सोचना चाहिए कि सभी पॉलिटिशियन्स गंदे नहीं हैं। अगर politicians को मार दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए politicians से क्यों ऐसे गोली ले लेंगे, यह सही नहीं है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के दौरान बंदूक ले जाना बिल्कुल सही नहीं है। यह बहुत गलत है। फिर इसमें 3 साल के बाद जो renewal था, उसको अभी 5 साल कर दिया गया है। आप मुझे इतना बताइए, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन-जिन राज्यों में सरकार के ऑफिस में ही, थाने में ही ये जमा रहती हैं, जिनको दो साल हो गए हैं, उनका हम क्या करेंगे? वे renewal तो देते ही नहीं हैं और चक्कर कटवाते रहते हैं। यह बहुत important है।

MR. CHAIRMAN: Right, Roopaji.

श्रीमती रूपा गांगुली: सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें थीं। एक बात यह है कि जो बंदूकें पुश्तैनी रूप में बाप-दादाओं, ठाकुर दादाओं से मिली हैं, उनकी जो heritage है, उनकी जो collection है, जो दिल से जुड़ी हुई रहती है, उन्हें किसी के पास देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको न बेचना अच्छा लगता है, न थाने में जमा कराना अच्छा लगता है। आप उनके बारे में कुछ करिए।

मैं यह तो जरूर कहूँगी कि अगर मंत्री महोदय इस एक्ट में ये changes चाहते हैं, तो करेंगे। उन्होंने इनको अच्छा समझा, इसलिए उन्होंने किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बिल को Select Committee को भेजने की जरूरत है। मंत्री महोदय जो ठीक समझेंगे, हम उसी में राजी हैं।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप reply दीजिए। ...**(व्यवधान)**... Please keep the suggestions in mind.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): माननीय सभापति महोदय, आदरणीय हुसैन दलवई जी से लेकर सभी माननीय सांसदों ने इसके बारे में सुझाव दिए हैं, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज small families हो गई हैं। लोग apartments में रह रहे हैं। आने वाले दिनों में apartment culture होता जा रहा है। इससे लोगों को 3-3 guns रखने में मुश्किल होती है, उनको सँभालना भी मुश्किल होता है।

दूसरा, one is distance gun, one is near gun, जो छोटी gun होती है, इसमें दो guns रखने का प्रावधान रखा गया है। आप चाहें, तो दो बड़ी guns भी ले सकते हैं। जो दादा-परदादाओं से, परिवार से आते हैं, वे भी ऐसी दो guns रख सकते हैं। इसमें two long, two small guns, ऐसा नहीं है । जो guns दादा-परदादाओं से आई हैं, मैं उनके बारे में एक सुझाव देता हूँ। आप उनका deactivation करिए, जिससे वे firing न कर सकें। इस तरह से उनका deactivation करके license से delete करके आप उन guns को रख सकते हैं। आपके पास दो guns तो हैं ही। आपको जो extra guns चाहिए, जो आपको दादा-परदादाओं से मिली हैं, आपको उनका demo करना है, आप उनको किसी को दे नहीं सकते, बेच नहीं सकते, पुलिस को surrender नहीं कर सकते, आपका मन उस gun के अन्दर है, इसके लिए आप उन guns को detachment करके, जिससे वे firing न कर सकें, उनमें वह असुविधा करके आप वे guns रख सकते हैं। इसके लिए आप सब लोगों को Arms Rules, 2016 के प्रावधान के द्वारा अभी यह सुविधा दी जाएगी। आपको इसीलिए यह सुविधा दी गई है। देश भर के जितने भी राजा-महाराजा हैं, उलें नरा जो guns दादा-परदादाओं से आई हैं, मैं उनके लिए यह घोषणा कर रहा हूँ। आप लोग ये guns रख सकते हैं, मगर जो firing करने वाली guns हैं, आप वैसी दो guns ही रख सकते हैं। आप बड़ी gun रखिए, छोटी gun रखिए, दो छोटे guns रखिए, दो बड़ी guns रखिए, जो दादा-परदादाओं से आई हैं, उनको रखिए, उसमें कोई बात नहीं है।

तीसरी बात, इसके लिए एक साल का समय दिया गया है कि एक साल के अन्दर उसको पुलिस स्टेशन में surrender करना है, नहीं तो किसी license holder arms dealer के पास रख सकते हैं। सरकार उसको arms dealer के पास से लेगी। Arms dealer उसे permanently नहीं रख सकते हैं। उनको भी हम समय देते हैं। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इलेक्शन के समय आप उसे पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, नहीं तो arms dealer के पास रख कर रसीद लेकर पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं। आपको यह सुविधा इसलिए दी है, क्योंकि कुछ लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास तीन गन्स हैं, तो इस बिल का नोटिफिकेशन होने या गज़ट पब्लिकेशन के एक साल के अंदर आप एक गन वापस दे सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं, जिनके पास तीन गन्स हैं। हमारे देश में जितने लोगों के पास गन्स के लाइसेंस हैं, उनमें से सिर्फ 1% लोगों के पास तीन गन्स हैं, 6.2% लोगों के पास

[श्री जी. किशन रेड्डी]

दो गन्स हैं और 78% लोग ऐसे हैं, जिनके पास एक ही गन का लाइसेंस है। जिनके पास तीन गन्स हैं, मैं उन 1% लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने उनको, इस बिल का नोटिफिकेशन होने के एक साल के अंदर वह गन वापस करने की सुविधा दी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारे पास पुरानी गन्स हैं, जिनके साथ हमारा मन, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि security forces क्या कर रही हैं, क्योंकि illegal ammunitions पकड़े जा रहे हैं, यह बात भी सही है। जिनके पास भी unauthorised guns हैं, उनके ऊपर हमारी security forces लगातार ध्यान दे रही हैं। Army को छोड़कर Ministry of Home Affairs के अंडर जितनी भी Forces आती हैं, जैसे ITBP, CRPF, CISF, BSF, Assam Rifles और SSB, इन Forces ने 2019 में लगभग 1,438 guns and 30,489 ammunitions को सीज़ किया है। आने वाले दिनों में हम और भी कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। हर बुलेट या हर ammunition के ऊपर, जो ammunitions का production करते हैं, उनका नम्बर रहेगा। आर्म्स के ऊपर तो नम्बर होता ही है, लेकिन आने वाले दिनों में बुलेट के ऊपर भी सीरियल नम्बर और आर्म्स का नम्बर दिया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गन कौन सी शॉप से खरीदी गई है और किसने खरीदी है। आने वाले दिनों में सरकार यह रिकॉर्ड भी रखना चाहती है कि किस बुलेट को किस लाइसेंस होल्डर ने खरीदा है, कौन सी शॉप से खरीदा है, कौन सी फैक्टरी में वह तैयार हुई है और यह सब रिकॉर्ड बुलेट के ऊपर लिखे नम्बर से मिल जाएगा।

मैं बताना चाहूंगा कि हमने कुछ लाइसेंस्ड गन्स को भी सीज़ किया है, जिन्होंने इनका गलत इस्तेमाल किया था। 2014, 2015, 2016 में लगातार ऐसी लाइसेंस्ड गन्स को सीज़ किया गया है, जिन लाइसेंस होल्डर्स ने इनका गलत इस्तेमाल किया था। 2014 में 1,198 licensed guns को सीज़ किया गया और 32,319 unauthorised guns को सीज़ किया है। 2015 में, जो guns cottage industries से या बाहर से बनकर आईं, ऐसी 32,564 guns को सीज़ किया गया था। 2016 में 36,064 guns को सीज़ किया गया, 2017 में 34,382 guns को सीज़ किया गया। 2017 में 19,107 ammunitions सीज़ किए गए।

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शादियों के लिए हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, उसमें बताया गया है, the Delhi High Court has given direction, 'Action against celebratory gunfire resulting to unavoidable, unwanted injuries or loss of life. The practice has acquired the dimension of social menace and public safety hazard.'

उत्तर प्रदेश में 2016 में 4,848 casualties हुई थीं, जिनमें 1,483 deaths हुईं, जिनमें 181 deaths licensed arms के द्वारा हुई थीं। इसलिए licensed arms से कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। Licensed arms के द्वारा भी कुछ गलत काम हो रहे हैं, यह भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसी तरह बिहार में भी 959 deaths

firearms के द्वारा हुई हैं, उनमें से 957 illegal firearms के द्वारा हुई हैं। Illegal arms का भी देश में कितना खतरा है, यह भी मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड में 792 deaths were reported due to the firearms, out of which 778 deaths were reported due to illegal firearms. ऐसे ही अलग-अलग numbers हैं।

दूसरे new provisions भी हैं। जो ammunitions होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि उनकी tracebility, कि अगर कोई बुलेट किसी private gun से चली है, licensed gun से चली है या non-licensed gun से चली है, हर बुलेट के ऊपर नम्बर लिखा होगा। दूसरा, जो amendment है, जिससे अभी electronic form of license include किया जा रहा है। जैसा driving license होता है, आने वाले दिन में इसकी कोई बुक साथ में रख कर घूमने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से driving licence एक electronic licence होता है, वैसा ही लाइसेंस अभी आने वाले दिनों में दिया जाएगा। उसके लिए अपना एक database है, portal है। आप गन का लाइसेंस किसी भी पुलिस स्टेशन में देख सकते हैं। उसके लिए National Database of Arms Licence (NDAL) और Arms Licence Issuance System (ALIS) इसका एक पोर्टल बना रहे हैं। देश में जितने भी licensed guns हैं, जो licensed ammunition हम issue करते हैं, वह पूरा इस पोर्टल में दिखेगा। बुलेट किधर गयी है, किसने यूज़ की है, इसका ब्योरा इस पोर्टल में रहेगा। आने वाले दिनों में गन किधर है, कौन सी गन यूज की गयी है, उस गन का नम्बर क्या है, वह इस पोर्टल के अन्दर आने वाले दिनों में electronically आ जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

दूसरा, दुनिया में सभी देशों में एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा suicide guns के द्वारा हो रहे हैं, उसमें अपना भारत तीसरे नम्बर पर है। Guns के द्वारा जो suicides करते हैं, उसमें 'Global deaths by arms from 1990-2016' by the Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) covered 195 countries. Homicide deaths and suicides from weapons were recorded in Brazil as 43,200; America, 37,200 and India, 26500. इस मामले में यह देश दुनिया में 3rd place में है। इसलिए ammunition के द्वारा यह जितना कम हो सकता है, कम करना है। हर व्यक्ति का संरक्षण, हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। यह पूरा जो लाइसेंस देने का काम है, लाइसेंस रिन्यूअल करने का काम है, लाइसेंस किसको देना है, वह सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एसपी, पुलिस कमिश्नर्स वे काम देखते हैं। केन्द्र सरकार ने सिर्फ कानून बनाया है। 'Arms, firearms, ammunition and explosives' Constitution के Seventh Schedule में Union List में No. 5 में है। इसके लिए यह कानून पहले था, उसको हम थोड़ा सुधार रहे हैं। यह कानून नया नहीं है, मगर आज के दृष्टिकोण से जो illegal arms बढ़ रहे हैं, terrorists हैं, आप लोगों ने कुछ बताया, मैं बताना चाहता हूँ कि police station के ऊपर attack करके वे

[श्री जी. किशन रेड्डी]

arms लेकर जा रहे हैं। मैंने जम्मू-कश्मीर में देखा है। जब वे पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस को मार कर guns छीन कर ले जाते हैं। उनको कोई सुविधा नहीं है। किसी एक्ट में उनको strict तरीके से punishment नहीं मिलती। इसलिए जो पुलिस से, सुरक्षा बल से, security forces से guns छीन कर ले जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसी दृष्टिकोण से हम लोग इस बिल को लाये हैं। इसे politics के दृष्टिकोण से नहीं देखें। आतंकवादी, उग्रवादी पुलिस के जो guns छीन कर ले जा रहे हैं, इस दृष्टिकोण से यह सुविधा इसमें लाये हैं। अगर धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो इनमें बहुत कम संघटनाएँ होती हैं। इस तरह की जितनी भी संघटनाएँ होती हैं, उनमें 99 परसेंट संघटनाएँ आतंकवादियों के द्वारा की जाती हैं, पुलिस स्टेशन्स के ऊपर अटैक में होती हैं।

श्री सभापति: घटना; संघटना is Telugu, घटना is incident. संघटना और घटना में फर्क है। संगठन means organization भी होता है। ...**(व्यवधान)**... No, no; a person from south, speaking such a good Hindi, and first time Minister, is an appreciable thing. He responded also. We should really appreciate him.

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, कुछ माननीय सदस्यों ने इसमें अमेंडमेंट दिए हैं, मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे अपना-अपना अमेंडमेंट withdraw कर लें, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है। यह बिल सबके हित के लिए, देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के हित के लिए, लॉ एण्ड ऑर्डर के हित के लिए लाया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी सांसद महानुभावों से इस बिल का समर्थन करने के लिए विनती करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment moved by Shri Digvijaya Singh for references of the Arms (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha to a Select Committee of Rajya Sabha to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of Rajya Sabha, consisting of following Members:-

1. Shrimati Ambika Soni
2. Kumari Selja
3. Shri B.K. Hariprasad
4. Shri Jairam Ramesh

5. Dr. K.V.P. Ramachandra Rao

6. Shri Tiruchi Siva

7. Shri Vaiko

8. Shri Sanjay singh

9. Prof. Manoj Kumar Jha

10. Shri Digvijaya Singh

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajay Sabha."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there are two Amendments. Amendment (No. 1), by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not there. Amendment (No.6) is by Shri Digvijaya Singh. Mr. Digvijaya Singh, are you moving the Amendment?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Yes. Let me speak for two minutes. I just want to make a point. Sir, the point is that the hon. Minister, in his wise speech, and we laud his effort to speak in Hindi, has not defined what is deactivation of the heirlooms and heritage. Secondly, my request is, this Bill, which you are going to pass, why can't you enforce it prospectively? Allow those who already have three weapons.

MR. CHAIRMAN: Are you moving the Amendment?

Clause 3- Amendment of Section 3

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I move:

(6) That at page 2, clause 3 be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.6) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Mr. Digvijaya Singh, you have got every right to ask for division. But, when you have heard the voice very clearly. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the point is, the hon. Minister is not responding to my request. What option do I have? If he assures the House, I would consider.

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, अगर माननीय मंत्री जी यह अश्वस्त कर दें कि जो सुझाव आए हैं, उनका रूल्स में प्रावधान कर दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have two requests. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Digvijaya Singh, you have made your point. Let him respond. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my point is, define deactivation, and enforce it. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: मंत्री जी। वन मिनट, श्री किशन रेड्डी जी।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, अगर माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वस्त कर दें कि जो सुझाव आए हैं, उनको नियमों में ले आएंगे ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, let the Minister respond. ...*(Interruptions)*... आप लोग मत बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: मंत्री जी को बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... आप सब मंत्री मत बनिए। ...**(व्यवधान)**... मोदी जी बाद में बना देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बीच में मोदी जी का नाम क्यों लाते हैं? ...**(व्यवधान)**... सुबह से शाम तक मोदी, मोदी कहते रहना कुछ लोगों की आदत बन गई है, मैं क्या करूं? ...**(व्यवधान)**... प्लीज, मंत्री जी।

SHRI G. KISHAN REDDY: In the Arms Rules, 2016, in Section 18, deactivation means render a small arm or light weapon incapable of exploding or launching a short bullet, missile or other projectile, in action of explosive and which can't be readily restored to its original capability. मिलिट्री के अंदर भी ammunition देते हैं, टैंक्स भी देते हैं, पर वे जो काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें आप अपने घर में भी रख सकते हैं, अलग-अलग जगह demo भी दे सकते हैं, इसलिए deactivate करके आप अपने मन की गन घर में या बरामदे में लगा सकते हैं।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, if he wants to bring technology into this, he should put GPS in each and every bullet so that he can trace it to every target!

MR. CHAIRMAN: I now put the Amendment (No.6) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

The motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: This is the spirit! He had a point and he wanted the Minister's response. The Minister responded.

In Clause 4, there is one Amendment (No.2) by Dr. T. Subbarami Reddy; he is not present.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 8, there is one Amendment (No. 3) by Dr. T. Subbarami Reddy; he is not present. This also has to be taken into consideration. You give notice for the Amendment and then you make me ...*(Interruptions)*... There has to be some reason. It can't be a regular thing.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 9, there are two Amendments, Amendments (Nos. 4 and 5) by Dr. T. Subbarami Reddy; he is not present. I am not taking it up.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.